

ପାରମ୍ପରାଗତ ଗ୍ରାମସଭା ପଢ଼ହା ବେ:ଲପଞ୍ଚା ନ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚ  
Paramparāgat Grāmsabhā Paṛhā Be:lpanchchā Nyāy Panch  
परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बे:लपंच्चा न्याय पंच

ପଂଗଂପଂବଂ ନ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚ  
(P.G.P.B. Nyāy Panch)

ନିୟମାବଳୀ – 2024

ପ୍ରକାଶକ :

ଅଦ୍ଦୀ କୁଞ୍ଜୁଖ ଚା:ଲା ଧୁମକୁଞ୍ଜିଆ ପଢ଼ହା ଅଖଞ୍ଜା (ଅଦ୍ଦୀ ଅଖଞ୍ଜା),  
ତୋଲଂଗ ପିଞ୍ଜା, ବୋଞ୍ଜିଆ ରୋଡ, ନଗଞ୍ଜା ଡିପ୍ପା, ଚିରଂନ୍ଦୀ, ରାଞ୍ଚୀ, ଜ୍ଞାରଖଞ୍ଜ, ପିନ-834006

---



## 1. माननीय हाईकोर्ट का आदेश और उराँव (कुँडुख) समाज की सामाजिक न्याय पंच व्यवस्था

माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के द्वी-सदस्यीय पीठ द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा के मामले में दिनांक 08.04.2021 के फैसले के कंडिका 29 में कहा गया है कि - "We, accordingly, set aside the judgement dated 16.03.2018, passed in Original Suit No. 583 of 2017 by the Principal Judge, Family Court, Ranch, and remand the matter to Family Court to frame an appropriate issue in regard to existence of provision of customary divorce in the community of the parties to these proceeding to get marriage dissolved. We permit the parties to amend the pleading, if so desire and also to lead evidence to prove the existence of a provision of customary divorce in their community. The Family Court will consider the matter afresh without being influenced by the observations made by this court hereinabove expeditiously. इसी तरह बिलासपुर, छत्तीसगढ़, के नवभारत समाचार पत्र में दिनांक 26.12.2023 को खबर छपी - हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक का क्या नियम है ? तथा माननीय उच्च न्यायालय ने पिटिशनर को नये सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी।)"

माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची एवं छत्तीसगढ़ के आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल द्वारा दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 दिन शनिवार एवं रविवार को दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से विमर्श कर, सर्वसहमति से त्रिस्तरीय परम्परागत ग्रामसभा पड़हा सामाजिक न्याय पंच नियमावली 2024 के प्रस्ताव का समीक्षोपरांत स्वीकृत एवं अनुमोदित किया गया।

# फैमिली कोर्ट को कस्टमरी लॉ के तहत तलाक देने की है शक्ति : हाइकोर्ट

**वरीय संवाददाता, रांची**

झारखंड हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-583 के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जस्टिस अरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने उराँव जनजाति के प्राचीन तलाक से संबंधित मामले को राँची के फैमिली कोर्ट को सुनवाई के लिए वापस भेज दिया, साथ ही फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया, खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-583, जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है, एक सेक्यूलर कानून है, खंडपीठ ने जोर दिया कि फैमिली कोर्ट एक्ट-1984 सभी धर्मों के लिए लागू एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, फैमिली कोर्ट में कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर निर्णय लेने की शक्ति फैमिली कोर्ट के पास है, मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस ब्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रिसिक सोहन व

- उराँव जनजाति के प्राचीन तलाक की याचिका का मामला, फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
- हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया, सुनवाई के लिए मामले को वापस भेज दिया
- कहा : फैमिली कोर्ट एक्ट एक सेक्यूलर लॉ है, कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला कर सकता है

याचिका दायर की थी, फैमिली कोर्ट ने तलाक के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था कि यह मैटेनैन्स नहीं है, यह कोर्ट कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला नहीं सुना सकता है, कस्टमरी लॉ लिखित नहीं है, यह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, प्राचीन झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, **उराँव जनजाति समझ में छूट-छूटी का है प्राधान्य** : एमिकस ब्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रिसिक सोहन ने बताया कि उराँव जनजाति समाज में बैठक कर निर्णय लेकर पति-पत्नी के अलग होने (छूट-छूटी) का प्राधान्य है, तलाक के लिए इच्छुक युवक ने समाज में बैठक के लिए मामले को आगे किया, लेकिन लड़की (पत्नी) के शामिल नहीं होने के कारण समाज की बैठक नहीं हो पायी, इसके बाद युवक ने अपने कस्टमरी लॉ का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट में धारा-583 के तहत तलाक के लिए मामला दायर कर दिया,



नवभारत Bilaspur City - 26 Dec 2023 - 26 Nya 1a  
epaper.navabharat.news  
जन लघु। इसका विरोध करन पर सपाहा सपाहा का सस्पेंड कर दिया है।

# हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक के क्या नियम हैं

**याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की छूट**

नवभारत रिपोर्ट। बिलासपुर।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तलाक की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि, केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर आदिवासी समाज में तलाक के मामले में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने को भी छूट दी है।

जस्टिस गौतम भद्रदुई और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के डोबी में इस मामले की सुनवाई हुई। यह मामला कोरबा जिले का है, जहाँ आदिवासी समाज से आने वाले पति-पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पत्नी ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए

परिहार न्यायालय में तलाक की अर्जी दायर की थी। दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पत्नी को अपील खारिज कर दी थी और तलाक की अर्जी को नार्मल कर दिया था। पत्नी ने इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। याचिका में पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की माँग की थी। हाईकोर्ट में

सुनवाई के दौरान जस्टिस गौतम भद्रदुई ने कहा याचिकाकर्ता के एडवोकेट से पूछा कि क्या आदिवासी समाज में हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। उन्होंने एडवोकेट को एक्ट की धारा पढ़ने के लिए कहा और साफ किया कि, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस प्रकार में तलाक मंजूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान पति की ओर से तलाक की याचिका पर अपील दर्ज करने के लिए अव्येदन देने की बात कही गई।

डोबी ने स्पष्ट किया कि, अपील पर आपति नहीं हो सकती। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम हैं। इस पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश याचिका दायर करने को भी छूट दी है।



इस त्रिस्तरीय परम्परागत ग्रामसभा पड़हा सामाजिक न्याय पंच पद्धति में पहला स्तर – पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा न्याय पंच), दूसरा स्तर – पड़हा पंच्चा (पड़हा न्याय पंच) एवं तीसरा स्तर – बेल पंच्चा (बेल समूह न्याय पंच) है। उराँव (कुँडुख़) भाषा में गांव को पद्दा कहा जाता है तथा कई गांव का समूह (परम्परागत रूप से निर्धारित) मिलकर पड़हा बैठक किया जाता है। परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल द्वारा अह आदेशित किया गया परम्परागत उराँव समाज के किसी परिवार अथवा सदस्य के सामने कोई विवाद का सामाजिक न्याय की मांग आये तो सबसे पहले ग्राम सभा के सामने, लिखित शिकायत करें। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कर बुलावे तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज हो और शिकायत का निपटारा करें। इसकी यदि समीक्षा करनी हो तो, अपील I – पड़हा न्याय पंच द्वारा एवं अपील II – बेल पंच्चा न्याय पंच (बेलपंच्चा बैठक में कम से कम 03 या 05 या 07 पड़हा शामिल हो) द्वारा निर्णय करें। बेलपंच्चा की औपचारिक अध्यक्षता, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तावित मदईत पड़हा बेल में से एक के द्वारा होगा। बैठक में अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय मान्य होगा। उपरोक्त तीनों बैठक की प्रक्रिया में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा या पड़हा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय को उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर या ठेपा निशान लगाएँ।

1. पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा न्याय पंच) :- पारम्परिक पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा न्याय पंच) के संचालन के लिए न्याय पंच निम्न होते हैं – (1) पहान (भुँईहरी पहनई)। (2) माहतो (भुँईहरी महतोई)। (3) पुजार (भुँईहरी पुजरई) (4) भँडारी परिवार से एक (5) जोंख कोटवार (6) पेल्लो (किशोरी) कोटवार (7) मुखी जोंख (अधेड़ पुरुष प्रतिनिधि) (8) मुखी पेल्लो (अधेड़ महिला प्रतिनिधि) (9) जेठ रैयत परिवार से एक मनोनित सदस्य। (10) गौरो परिवार से एक मनोनित सदस्य होंगे। सर्वप्रथम किसी गांव में यदि कोई विवाद सामने आये तो वह मामला परम्परागत रूप से चयनित ग्रामसभा अध्यक्ष के सामने विवादित विषय को न्याय चाहने वाले को अपना पक्ष लिखित शिकायत करनी होगी। इसके लिए किसी मामले को लिखित आवेदन के साथ ग्रामसभा अध्यक्ष को सौंपे। आवेदन के साथ परम्परा से चला आ रहा चटाई बिछाने का पंच खर्च जो वर्तमान में अब रू0 151 / (एक सौ एकावन) जमा करें। इस लिखित आवेदन के आधार पर परम्परागत विधि से चयनित पहान या माहतो ग्राम सभा की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न होगा। ग्रामसभा की अध्यक्ष की मदद के लिए परम्परागत गांव के सदस्य के अतिरिक्त वर्तमान समय के अनुरूप 02 मनोनित महिला सदस्य होंगे जो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष तथा ग्रामसभा की अध्यक्ष के तरफ से शिक्षित एवं आदिवासी न्याय-कानून आदि के बारे में जानकारी रखते हों। परम्परागत ग्रामसभा अध्यक्ष दोनों पक्षों को लिखित नोटिस तामिला करावें। साथ ही सभी गांव के सदस्यों को बैठक की सूचना भेजें। इस तरह निर्धारित तिथि को बैठक कराकर ग्रामसभा रजिस्टर में दर्ज करें। अंत में उपस्थित सदस्य अपनी उपस्थिति का हस्ताक्षर या ठेपा निशानी देकर करें। ग्रामसभा रजिस्टर में दर्ज अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति, दोनों पक्षों को दें।

2. पड़हा पंच्चा (पड़हा न्याय पंच) – परम्परागत पड़हा पंच्चा (पड़हा न्याय पंच) बैठक में ग्रामसभा के निर्णय की समीक्षा अथवा पुनर्विचार करेगी। यह बैठक परम्परागत पड़हा बेल के बुलावे पर पड़हा गांव के सदस्य पड़हा बैठक में शामिल होंगे। इसके लिए किसी मामले का निर्णय से असहमत पक्ष लिखित आवेदन के साथ ग्रामसभा का निर्णय की प्रति पड़हा बेल को सौंपे। आवेदन के साथ परम्परा से चला आ रहा चटाई बिछाने का पंच खर्च वर्तमान में वर्तमान में रू0 251 / (दो सौ एकावन) जमा करें। इस लिखित आवेदन के आधार पर परम्परागत विधि से चयनित पड़हा बेल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न होगा। पड़हा बेल की मदद के लिए परम्परागत पड़हा गांव के सदस्य के अतिरिक्त 03 मनोनित सदस्य होंगे जो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष तथा पड़हा बेल के तरफ से होंगे, जो शिक्षित एवं आदिवासी न्याय-कानून आदि के बारे में जानकारी रखते हों या डालसा के न्याय मित्र हों। पड़हा बेल की के साथ 03 महिला सदस्य मनोनित रहेंगी। पड़हा बेल दोनों पक्षों को लिखित नोटिस तामिला करावें। साथ ही सभी पड़हा गांव के सदस्यों को बैठक की सूचना भेजें। इस तरह निर्धारित तिथि को बैठक कराकर पड़हा रजिस्टर में दर्ज करें। बैठक में ग्रामसभा के निर्णय की समीक्षा करें तथा व्यवहारिक न्याय में यदि कमी हुई हो तो उसका सामने लायें और पड़हा का निर्णय

रजिस्टर में दर्ज करें। अंत में अपस्थित सदस्य अपनी उपस्थिति का हस्ताक्षर या ठेपा निशानी देकर करें। पड़हा रजिस्टर में दर्ज अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति, दोनों पक्षों को दें।

3. बेल पंचा (बेल समूह न्याय पंच) – बेल पंचा ओक्कर बेल पंचा नननर। परम्परागत बेल पंचा की बैठक में कम से कम 03 पड़हा या 05 पड़हा या 07 पड़हा इकाई के बेल अपने पंचगण के साथ पड़हा के निर्णय की समीक्षा तथा पुनर्विचार करेंगे। इसके लिए किसी मामले का निर्णय से असहमत पक्ष द्वारा लिखित आवेदन के साथ 03 पड़हा या 05 पड़हा या 07 पड़हा के पड़हा बेल में से किसी एक पड़हा बेल को सौंपेंगे। बेल पंचा की अध्यक्षता के लिए अपीलकर्ता पक्ष द्वारा लिखित आवेदन देकर बेल पंचा के लिए बेल को चुना जाएगा। आवेदन के साथ परम्परा से चला आ रहा चटाई बिछाने का पंच खर्च वर्तमान में ₹0 351/ (तीन सौ एकावन) जमा करें। इस लिखित आवेदन के आधार पर बेल पंचा की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न होगा। बेल पंचा की मदद के लिए परम्परागत पड़हा पंच के सदस्य के अतिरिक्त 03 मनोनित सदस्य होंगे जो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष तथा बेलपंचा के तरफ से नामित किये जा सकेंगे, जो शिक्षित एवं आदिवासी न्याय-कानून आदि के बारे में जानकारी रखते हों या डालसा के न्याय मित्र हों। बेलपंचा दोनों पक्षों को लिखित नोटिस तामिला करावें। साथ ही सभी पड़हा गांव के सदस्यों को बैठक की सूचना भेजें और एक निर्धारित तिथि को बैठक कराकर, पड़हा रजिस्टर में दर्ज करें। बैठक में ग्रामसभा के निर्णय की समीक्षा करें तथा व्यवहारिक न्याय में यदि कमी हुई हो तो उसको सामने लावें और बेल पंचा का निर्णय रजिस्टर में दर्ज करें। अंत में उपस्थित सदस्य अपनी उपस्थिति का हस्ताक्षर या ठेपा निशानी देकर करें। बेलपंचा की अध्यक्षता, अपीलकर्ता पक्ष (असहमत पक्ष) द्वारा चयनित पड़हा बेल की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। इसका अर्थ हुआ संबंधित पड़हा बेल के निर्णय की चुनौति एवं समीक्षा करना हुआ। बेल पंचा के लिए मर्दत पड़हा के पड़हा प्रतिनिधि ही बैठक में शामिल हों। उपस्थित पड़हा बेल में से अधिकतम पड़हा बेल के निर्णय को बेलपंचा का निर्णय समझा जाए। यह परम्परागत पड़हा बेल पंचा सामाजिक न्याय पंच की सुनवाई जिला स्तर के त्वरित न्यायालय (Fast court) में हो या इसके उपरी न्यायालय में ही चुनौती हो।

अपील का समय :- परम्परागत ग्रामसभा की बैठक के निर्णय की चुनौति के लिए पड़हा सभा में ले जाने के लिए अधिकतम समय सीमा 90 दिन का होगा। इसी तरह परम्परागत पड़हा की बैठक के निर्णय की चुनौति के लिए बेलपंचा में ले जाने के लिए अधिकतम समय सीमा 90 दिन का होगा। बेलपंचा के आदेश को चुनौति के लिए परम्परागत उरांव आदिवासी समाज, माननीय जिला न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बिसुसेन्दरा में अपील के लिए बेलपंचा के आदेश की तिथि से 06 महीना तक होगा।

नोट – यहाँ पंचा का अर्थ समूह है और पंचा का अर्थ समूह में न्याय करना है। पंचा का अर्थ हिन्दी में प्रयुक्त शब्द पंचनामा की तरह कहा जा सकता है परन्तु हिन्दी में पंचनामा का अर्थ पांच लोगों द्वारा अवलोकन का रिकार्ड होता है। जबकि पंचा शब्द का व्यवहार का अर्थ – समूह द्वारा अवलोकन कर, न्याय दिलाना है। बिसुसेन्दरा को प्रथागत उरांव आदिवासी समाज में, सामाजिक न्याय का अंतिम सीढ़ी माना गया है, इसलिए वहाँ के सामाजिक न्याय को किसी दूसरे स्थान पर चुनौति देना मान्य नहीं है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान न्यायालय व्यवस्था में **Mediation committee** के फैसले को चुनौति प्रावधान नहीं है। परम्परागत उरांव समाज अपने सामाजिक व्यवस्था में श्रद्धा रखते हुए बिसुसेन्दरा के निर्णय को स्वीकार करता है। इस तरह यह पारम्परिक ग्रामसभा पचइ'ती-पड़हा, उरांव आदिवासी पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत सरल एवं त्वरित न्याय प्रणाली होगा, जो सभी तरह के गरीब-अमीर, छोटे-बड़े, महिला-पुरुष, ग्रामीण-शहरी आदि व्यक्तियों के लिए सहज प्रक्रिया होगी।

सम्पादक :

डॉ नारायण उरांव 'सैन्दा'

संयोजक, अददी अखड़ा, रांची, झारखण्ड।

दिनांक : 19 मई 2024

## 2. PESA ACT 1996

### THE PROVISION OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) ACT, 1996, No. 40 OF 1996 (24th December, 1996)

4. (d) every Gram Sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and the customary mode of dispute resolution.
- (n) the State Legislation that may endow Panchayats with powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government shall contain safeguards to ensure that Panchayats at the higher level do not assume the powers and authority of any Panchayats at the lower level or the Gram Sabha.
- (o) the State Legislature shall endeavour to follow the pattern of the Sixth Schedule to the constitution while designing the administrative arrangements in the Panchayats at district levels in the Scheduled Area.

.....  
.....  
.....  
.....

K. L. MOHANPURIYA  
Secretary, to Govt. of India

3. झारखण्ड सरकार  
पंचायती राज, एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमण्डल विभाग)  
(पंचायती राज निदेशालय)

अधिसूचना

जी० एस० आर० – 269 /

रांची, दिनांक – 21/2/05

झारखण्ड ग्राम सभा नियमावली, 2003

कंडिका 4. एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया –

- (i) निम्नलिखित क्षेत्र के लिए पृथक ग्राम सभा का गठन किया जा सकेगा –  
(ख) छोटे गांव या गावों/टोलों का समूह जिसमें समाविष्ट समुदाय परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो।

कंडिका 5. ग्राम सभा की बैठक –

(ग) ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जाएगा। मुखिया की अनुपस्थिति में उप-मुखिया बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों ही अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता, उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जो संबंधित पंचायत का मुखिया, उपमुखिया या उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य नहीं हों और उस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो, जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुण्डा, पहान, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो।

ह०/अ०

सरकार के सचिव

पंचायती राज, एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमण्डल) विभाग  
झारखण्ड, राँची।

#### 4. परम्परागत 22 ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा 2024

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996 (PESA ACT 1996) के Section 4(d) के तहत दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 दिन शनिवार एवं रविवार को 9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव एवं 6 पड़हा गांव, कुल 22 गांवों की सभा (22 गांव का पड़हा बैठक) द्वारा अपनी रूढ़ी-परम्परा के अनुसार "परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई-भरनो" का आयोजन किया गया। परम्परागत कुँडुख समाज द्वारा आयोजित यह परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसु सेन्दरा का 2 दिवसीय वार्षिक अधि वेशन, ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का संयोजन परम्परागत गांव सभा के पंचों में से पड़हा बिसुसेन्दरा बेल – श्री दशरथ भगत, कुहाबेल – श्री जुब्बी उरांव, देवान – श्री मटकु उरांव, कोटवार – श्री गजेन्द्र उरांव, भंडारी – श्री उमेश उरांव के द्वारा किया गया। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं पारम्परिक ग्रामीण पुजारी पहान, महतो, पुजार इत्यादि उपस्थित थे। बिसुसेन्दरा के पहले दिन अर्थात दिनांक 18 मई 2024 की बैठक में पड़हा गांव के सिर्फ पुरुष लोग गांव-समाज में रूढ़ी व्यवस्था के अन्तर्गत देश के संविधान एवं कानून व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य किये जाने के संबंध में कई पारम्परिक नियमावली को लिखकर संकलन करने पर चर्चा किये। उसके बाद अंतिम दिन अर्थात दिनांक 19 मई 2024 की बैठक में पड़हा गांव की बैठक में महिलाएँ के साथ शामिल हुईं। महिलाओं द्वारा पूर्व की भांति, लोटा में पानी और आम का डहुरा लेकर पुरुषों का स्वागत की। महिलाओं को यह उम्मीद रहती है कि पुरुष गण अपने परिवार तथा समाज के लिए अच्छा निर्णय करके आये होंगे और गांव समाज को आगे ले जाएंगे। पिछले वर्ष 2023 में बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार महिलाएँ, 9 फुदना वाला 9 पड़हा के लिए, 7 फुदना वाला 7 पड़हा के के लिए तथा 6 फुदना वाला 6 पड़हा गांव के महतो-पहान के लिए अईरपन-सिन्दुर लगाकर "पड़हा खेवा डांग" सौंपा गया और वे पुरुषों से आह्वान कीं – कि वे स्वयं समाज-परिवार के लिए जाएं और बच्चों में शिक्षा का अलख जगाएँ, नशापान रोकें, अनुशासन एवं देशप्रेम जगाएँ। इसवर्ष महिलाओं द्वारा फिर से आह्वान किया गया कि गांव के पहान-महतो बिसुसेन्दरा के अवसर पर सामाजिक जिम्मेदारी का संकेतक "पड़हा खेवा डांग" को बिसुसेन्दरा में गांव का पड़हा झण्डा के साथ चढ़ावें। इसतरह पुरुष-महिला मिलकर माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान पर आह्वान किये – आदिवासी जागरूक हों।

परम्परागत 22 ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा 2024 की ओर से निम्नांकित निर्णय लिया गया –

1. माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है कि आदिवासी मामले का निपटारा – आदिवासी कस्टमरी कानून के आधार पर हो। इसलिए बिसुसेन्दरा आदेश देती है कि उरांव समाज का कोई भी मामला तीन स्तरीय सामाजिक न्याय पंच व्यवस्था में आना होगा। इनमें से – (क) पददा पंचा अर्थात ग्राम सभा न्याय पंच (ख) पड़हा पंचा अर्थात पड़हा न्याय पंच (ग) बेल पंचा अर्थात बेल स्तर पर न्याय पंच।

2. पददा पंचा अथवा ग्रामसभा न्याय पंच की अध्यक्षता रूढ़ीगत रूप से गांव के पहान द्वारा किया जाए तथा पहान की अनुपस्थिति में महतो द्वारा किया जाए। गांव के कोई मामला ग्राम सभा अध्यक्ष के नाम से लिखित शिकायत आवे और ग्राम सभा अध्यक्ष उस शिकायत के आधार पर दोनों पक्ष को नोटिस देकर बुलावे और गांव के पंच मिलकर न्याय करें। कार्यवाही को ग्रामसभा रजिस्टर में दर्ज करें और पंच गण हस्ताक्षर करें। इसी तरह पड़हा न्याय पंच का बैठक की अध्यक्षता परम्परागत बेल पददा के पड़हा बेल द्वारा किया जाए। पड़हा बेल के मदद के लिए सभी गांव वाले रहें। बैठक की कार्यवाही लिखित हो तथा पड़हा बेल एवं पंच गण हस्ताक्षर या अंगुठा लगाएं। तीसरी व्यवस्था अर्थात बेल पंचा न्याय पंच व्यवस्था की अध्यक्षता अपने क्षेत्र के 3 या 5 या 7 या 9 अलग-अलग पड़हा के पड़हा बेल लोगों का समूह द्वारा किया जाए, जिसकी अध्यक्षता उन 3 या 5 या 7 या 9 में से किसी एक मदर्इत पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा, जिसका चयन शिकायत कर्ता द्वारा किया जाए। बैठक की कार्यवाही लिखित हो तथय सभी पड़हा बेल एवं पंच हस्ताक्षर या अंगुठा लगाएं।

3. प्रत्येक 03 वर्ष में ग्रामसभा न्याय पंच समिति का गठन करें और इसकी सूचना अपने उपायुक्त महोदय को दें। वर्ष 2024 का "परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल" द्वारा अनुमोदित निर्णय को महामहीम राज्यपाल, झारखण्ड, आयुक्त रांची प्रमण्डल एवं उपायुक्त गुमला अथवा गुमला मण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ हेतु भेजें।

परम्परागत 22 ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई-भरनो (झारखण्ड)

## 5. परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल

कार्यालय – पड़हा पिण्डा, ग्राम : सैन्दा, पो० : करकरी, थाना : सिसई,  
जिला : गुमला (झारखण्ड), पिन कोड : 835324

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996 (PESA ACT 1996) के Section 4(d) के तहत दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 दिन शनिवार एवं रविवार को 9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव एवं 6 पड़हा गांव, कुल 22 गांवों की सभा (22 गांव का पड़हा बैठक) द्वारा अपनी रूढ़ी-परम्परा के अनुसार “परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई-भरनो” का आयोजन किया गया। परम्परागत कुँडुख समाज द्वारा आयोजित यह परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन, ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का संयोजन परम्परागत गांव सभा के पंचों में से पड़हा बिसुसेन्दरा बेल – श्री दशरथ भगत, कुहाबेल – श्री जुब्बी उरांव, देवान – श्री मटकु उरांव, कोटवार – श्री गजेन्द्र उरांव, भंडारी – श्री उमेश उरांव के द्वारा किया गया। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं पारम्परिक ग्रामीण पुजारी पहान, महतो, पुजार इत्यादि उपस्थित थे। इस “परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बेलपंचा” में उराँव समाज की रूढ़ीगत व्यवस्था के अन्तर्गत पारित नियमावली को विधि के जानकारों से विमर्श कर, सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि परम्परागत उराँव (कुँडुख) समाज में यह निर्णय जनसूचना एवं अनुपालन हेतु जारी किया जाए, जो निम्नलिखित है –

1. परम्परागत उराँव (कुँडुख) समाज अपने घर-परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक उराँव (कुँडुख) नेगदस्तुर करें तथा परब परम्परागत तरीके से मनाएँ। उरांव (कुँडुख) समाज के सभी सदस्य, अपने पड़हा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामसभा, पड़हा एवं धुमकुड़िया को परम्परागत तरीके से संगठित करें तथा रूढ़ी परम्परा के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त पूजा स्थल जैसे – चाःला, अखड़ा, देबीगुड़ी (मड़ई), दरहा, देशबली, चँड़ी, सियाँ-भुइयाँ को सुरक्षित एवं संरक्षित करें।

2. परम्परागत उराँव (कुँडुख) समाज में सामाजिक शादी के अन्तर्गत सिर्फ स्वजातीय शादी की मान्यता है किन्तु स्वजाति में एक गोत्र में शादी वर्जित करता है। स्वजाति में एक गोत्र/गोत्र के लोगों में खून का रिस्ता माना गया है। इसलिए सामाजिक परम्परा के विरुद्ध की गयी शादी को परम्परागत उराँव (कुँडुख) समाज निंदा करता है और गैर परम्परागत तरीके से की गई शादी के लिए खाशकर लड़का पक्ष को सामाजिक जुर्माना भरना होगा तथा सामूहिक गांव पूजा एवं पतरी भात का आयोजन करना होगा।

3. उराँव (कुँडुख) समाज पुरुष वंश परम्परा पर आधारित है। इसलिए वर्जना के बाद भी यदि कोई उराँव युवक ढुकू लाता हो या युवति ढुकू जाती हो, तो उसे समाज मान्यता नहीं देता है। इसलिए परम्परानुसार वह सामूहिक गांव पूजा एवं पतरी भात और ढुकू-ढरा बेंज्जा नेगदस्तुर का आयोजन करना होगा।

4. उराँव (कुँडुख) समाज में वर्जना के बाद भी यदि कोई लड़का या लड़की अन्तर्जातीय विवाह करते हैं तो वे अपने समाज में सामाजिक मान्यता एवं मर्यादा का उलंघन करते हैं, तो वे पति-पत्नी सामूहिक सामाजिक कार्यव्यवस्था तथा जिम्मेदारी से अलग रहें और अपना विवाह रस्म special marriage act के अनुसार करावें।

नोट – रूढ़ी व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक मान्यता एवं मर्यादा का उलंघन करने वाले, रूढ़ीप्रथा, सामाजिक सम्पति, नियम कायदा से मुक्त (बाहर) हो जाते हैं। इसी तरह अन्तर्जातीय विवाह करने वालों की सामूहिक सामाजिक कार्यव्यवस्था तथा जिम्मेदारी समाज पर नहीं होगी। भारत सरकार द्वारा आदिवासी अथवा अनुसूचित जनजाति होने के लिए विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा विशिष्ट संस्कृति का होना मानदंड माना गया है। इस स्थिति में विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु रूढ़ीगत उराँव समाज अन्तर्जातीय विवाह के बाद उत्पन्न स्थिति

के चलते दूसरे वंश को अपने कबिला में मिलने नहीं देने के नियत से जातीय गण व्यवस्था, सामाजिक सम्पत्ति तथा नियम कायदा से मुक्त किया जाएगा।

5. विश्व में 50 से अधिक देशों में प्राचीन आदिवासी आस्था—विश्वास को कबिलाई धर्म के नाम से मान्यता दी गई है किन्तु अपने ही देश में हमें, धार्मिक पहचान नहीं मिली है, यह हम आदिवासियों के लिये विडम्बना की बात है। परम्परागत उराँव (कुँडुख) समाज के लोग अपने पारम्परिक विश्वास—धर्म को आदि धर्म या सरना धर्म के नाम से जानते एवं मानते हैं। केन्द्र सरकार इसे कानूनी मान्यता दे।

नोट — मानव समाज में प्रत्येक बच्चे को एक नाम मिलता है। पर अपने देश भारत में आदिवासी आस्था—विश्वास को अबतक कोई नाम नहीं दिया गया है। क्या, यह केन्द्र सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है?

6. परम्परागत आदिवासी उराँव समाज में जमीन को परिवार के भरण—पोषण का आधार माना गया है तथा आदिवासी होने एवं कहलाने के लिए जमीन तथा भौगोलिक क्षेत्र (Geographical Area) का होना आवश्यक है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जमीन तथा भौगोलिक क्षेत्र को बरकरार रखने के उद्देश्य से वंशानुगत सम्पत्ति (जमीन) को एक वंश से अन्य वंश में हस्तान्तरण नहीं किया जाता है। परम्परा के अनुसार समाज में हरेक लड़की को शादी से पहले अपने पिता के वंशानुगत सम्पत्ति पर तथा शादी के बाद अपने पति के वंशानुगत सम्पत्ति में स्वाभाविक रूप से उपभोग के लिए भागीदार माना गया है। पुस्तैनी जमीन को बेचना, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए वर्जित है। सामाजिक दस्तुर है कि एक महिला, शादी के बाद अपने ससुराल में अपनी मर्जी से जीवन भर रह सकती है। इसलिए उराँव बिसुसेन्दरा, लड़की या महिला के लिए यह सामाजिक जिम्मेदारी हक—दस्तुर के साथ, वंशानुगत पारिवारिक अचल संपत्ति का हस्तान्तरण रोकने तथा खेत, खेती और खेतिहर के अन्योन्याश्रय संबंध को बरकरार रखने हेतु महिला एवं पुरुष दोनों को पुस्तैनी जमीन को बेचना वर्जित करता है।

7. परम्परागत कुँडुख समाज में शादी के समय बेंज्जा किचरी के रूप में लड़की के लिए तीन टिप्पा हल्दी लगा हुआ पड़िया साड़ी तथा लड़का के लिए तीन टिप्पा हल्दी लगा हुआ धोती अनिवार्य होगा।

8. परम्परागत कुँडुख समुदाय के शादी नेग में कुल लेन—देन रु० 1101 / (ग्यारह सौ रु०) के अन्दर होगा तथा परम्परागत शादी के अवसर पर सिर्फ नेग हँडिया का व्यवहार होगा। डली ढिबा रस्म आदायगी अलग होगा। इसके लिए पंच्यानेग ढिबा अरा पंचसबुति ढिबा या पंचर गही उँडियाचका ढिबा या डली ढिबा रु०11 / (ग्यारह रु०) देय होगा।

9. परम्परागत उराँव समुदाय के शादी—व्याह के अवसर पर परपरागत बाजा का रिवाज है। डिस्को बाजा या बैंड बाजा को पड़हा बिसुसेन्दरा वर्जित करता है और समाज में युवक युवतियों को नाच—गान सीखने—सिखाने के लिए अखड़ा—धुमकुड़िया को जगाया जाए। जानबूझकर उलंघन करने पर 5000 / (पाँच हजार) रूपया जुर्माना देना होगा।

10. परम्परागत कुँडुख समाज के सभी भाई—बहन अपने उपनाम में जातीय नाम उराँव जोड़ें। गोत्र (इसका प्रयोग मंत्र एवं अनुष्ठान में विशिष्ट है) एवं गोत्र चिन्ह की पवित्रता बनाये रखें तथा समाज—परिवार के धार्मिक अनुष्ठान, श्रद्धा पूर्वक करें।

11. परम्परागत कुँडुख (उराँव) समाज, एक शादी की अनुमति देता है किन्तु विशेष परिस्थिति में पुरुष के लिए दूसरी बार किसी कुँवारी लड़की या रँदिया (विधवा) औरत के साथ सगई—संगहा किया जाता है, जैसे —

- (1) पहली पत्नी की मृत्यु होने पर।
- (2) पहली पत्नी के पागल होने पर।

(3) पहली पत्नी के अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले जाने पर।

(4) पहली पत्नी का दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध साबित होने पर।

(5) पहली पत्नी से वंश न चल पाने पर (अर्थात् बांझपन की स्थिति में), पति-पत्नी के रजामंदी से या पहली पत्नी के कहने पर, परिवार की खुशी के लिए समाज में, सगई-संगहा की प्रथा है।

रूढ़ीगत उराँव आदिवासी समाज में खेत, खेती और खेतीहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परम्परागत उराँव समाज का एक व्यक्ति अपने तथा परिवार के लिए जंगल साफ कर नया खेत बनाता है या फिर अपने खेत में नया पेड़ लगाता है, यह सोचकर कि उनके बाल-बच्चे अथवा आने वाली पीढ़ी के लिए समय पर काम आवे। ऐसी स्थिति में कई बार पहली पत्नी का किसी विमारी या कोई अन्य कारण से बच्चा नहीं हो पाने से पहली पत्नी अपने घर-परिवार की खुशी के लिए अपने पति से कहती है – ए:न निंग्गा गे अउर ओण्टा कनियॉ बेददा चिआ लगेन, मुन्दा एंग्गन अमके अम्मबा, नाम ओण्टे एडेप'ता (परिवार) नु संग्गे-संग्गे रओत। पहली शादी से उत्पन्न पुत्र या पुत्री के परवरिश (परबस्ती) की जिम्मेदारी प्राकृतिक रूप से पिता पर होती है। कभी-कभी किसी लड़के द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरी औरत लाने पर तथा उस औरत के बच्चे को अपनाने की सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होगी।

बांझपन का मापदण्ड या परिभाषा, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मान्य होगा। परम्परागत शादी में लड़का-लड़की को पगसी (जुआठ) में बैठाया जाता है और पट्टा में चढ़ाकर सिंदरी टिप्पा करवाया जाता है, सगई-संगहा बेंज्जा नेग में पट्टा में चढ़ाना और पगसी में बैठाने का नेग नहीं होता है, सिर्फ पिटरी सिंदरी तथा सबहा (सभा) सिंदरी होता है। इसलिए सामाजिक मान्यतानुसार की गई शादी से उत्पन्न बच्चे के लिए समाज, उसके पिता की सम्पत्ति का हिस्सेदार बनाती है। सामाजिक शादी के बाद खाशकर पासपोर्ट के लिए मैरेज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। वैसी स्थिति में **Jharkhand Marriage Registration Act 2017** के तहत रजिस्टर्ड करवाया जा सकेगा।)

12. परम्परागत कुँडुख (उराँव) समाज, एक शादी की अनुमति देता है किन्तु विशेष परिस्थिति में एक महिला की दूसरी बार किसी कुँवारे या रँदुवा (विधुर) व्यक्ति के साथ सगई-संगहा किया जाता है। जैसे –

(क) पहले पति के मृत्यु होने पर।

(ख) पहले पति के पागल होने पर।

(ग) पहले पति के नामर्द रहने पर।

(घ) पति द्वारा पहली पत्नी के रजामंदी में बिना दूसरी औरत लाने पर – शादीशुदा महिला, अपने व्यक्तिगत हित में पहले पति को छोड़कर चली जाया करती है या कहीं-कहीं अपने परिवार की खुशी बनाये रखने में मदद करने में बढचढ कर हिस्सेदार बनती है। (एक महिला को पूरी आजादी है कि वह पति के घर रहे या पति को छोड़कर जाय।)

13. पति-पत्नी के बीच विवाह विच्छेद (बिउड़ही) के लिए परम्परागत तरीके से बिहउड़ी लेन-देन किया जाना आवश्यक है। पुत्र/पुत्री के परवरिश (परबस्ती) की जिम्मेदारी प्राकृतिक रूप से पिता पर होती है। यदि बच्चा 5 साल से कम हो तो वह माँ के साथ रह सकेगा या बिहउड़ी के समय बच्चे के हित में समाज को जैसा अच्छा लगे के अनुसार होगा। यदि संबंध विच्छेद लड़का द्वारा किया गया हो तो माँ-बच्चे के परवरिश के लिए बच्चे के पिता को खोरपोस (जीवन यापन का संसाधन) व्यवस्था करना होगा। यदि संबंध विच्छेद लड़की द्वारा किया गया हो तो खोरपोस व्यवस्था के लिए लड़का बाध्य नहीं होगा। ग्राम सभा में बिउड़ही के लिए अरजी, पति-पत्नी के बीच संबंध नहीं होने का समय सीमा कम से कम 2 वर्ष बीतने के बाद ही मान्य होगा।

नोट :- आजकल लोग पति-पत्नी के बीच विवाह विच्छेद (बिउड़ही) के लिए आदिवासी परिवार के सदस्य भी कोर्ट से मदद लेने जाते हैं, पर कोर्ट या फॉमिली कोर्ट, आदिवासी मामलों में खाशकर तलाक मुद्दे पर आदिवासियों

का सामाजिक मामला कहकर दखल नहीं देती है। इसलिए आदिवासियों के लिए सामाजिक नियमों को पालन करना आवश्यक होगा। परम्परागत उराँव समाज में बिहउड़ी के समय दोसी पक्ष के घर से से पंच द्वारा हार भाईर अड्डो (एक जोड़ा बैल) या मनखा (काड़ा) ले जाया जाता था। ग्रामसभा पड़हा बेलपंच्वा कार्यशाला में इसे वर्तमान समय में लागू रखने का निर्णय किया गया। बिहउड़ी एक प्रक्रिया है, जिसमें डली ढिबा (विवाह सगुन का सांकेतिक धनराशि) को पंचो लौटाना आवश्यक होता है। यह डली ढिबा शादी के अवसर पर पंच लोगों द्वारा तय किया जाता है तथा कन्या की माँ या परिवार में माँ रिस्ते को ही सौंपा जाता है। डली ढिबा वापसी के बाद ही बिहउड़ी मान्य होता है। उराँव समाज में बिहउड़ी के लिए एक जोड़ा बैल या कोड़ा ले जाया जाता है। इस संबंध में एक गीत इस प्रकार है

— बोंगगर—बोंगगर पेलो नहियर का:दी,  
मया दुलड़ पेलो एंव उला रअओ, रे।।  
बोंगगर—बोंगगर पेलो नहियर का:दी,  
मएयाँ खू:री पेलो एंव उला रअओय, रे।।  
मला रओय पेलो, बिहउड़ी ननोर,  
पंच्वा डली ढिबन किरितआ गे,  
जोड़ा भईर अड्डो निंगहयन होओर, रे।।

14. परम्परागत उराँव समाज में खेत, खेती और खेतिहर के रिस्ते को अन्योन्याश्रय संबंध माना गया है। यदि खेतिहर को बचाना है तो खेत और खेती को भी बचाना पड़ेगा। इसी सामाजिक एवं सह अस्तित्व विचार—धारा के चलते पुस्तैनी अचल संपत्ति को वश एवं खेवटदारों के बीच ही उपभोग के लिए निर्धारित है।

15. बेंज्जा = बिंजिर'उर + बिंज्जुर। बेंज्जा गही माने "बांजरनखरना गे इंजिरना" मनी। बेंज्जा का अर्थ हिन्दी में विवाह या शादी है, अंगरेजी में **marriage** है। संस्कृत में विवाह का अर्थ विशिष्ट वहन कहा गया है। विवाह, पति—पत्नी के एक साथ रहने तथा उनसे उत्पन्न बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी प्रदान करता है। उराँव आदिवासी समाज में बेंज्जा को, प्रकृति में से एक लत्तर जिसे उराँव लोग बंदा कहते हैं या जिसे हिन्दी में अमरबेल कहा जाता है, उसके आचरण की तरह समझा जाता है। उराँव समाज में बेंज्जा, प्रकृति में बंदा गही बां:जना अरा बांजरनखरना (अमरबेल स्वयं से अलग तरह के पेड़ को अच्छादित कर सहजीवी होने जैसा) की तरह है। प्रकृति के इस उद्धरण की तरह विवाह के बाद एक दुलहन, अपने पति के साथ सहजीवी हो जाती है। बां:जना का अर्थ अंगरेजी में **to cover, to arrange in a discipline way for safeguard and good objectives** है। उराँव समाज में "बंदा गही बां:जना अरा बां:जरनखरना" जैसी प्राकृतिक दर्शन की तरह बेंज्जा की मान्यता है।

बेंज्जा = बिंजिर'उर + बिंज्जुर। रूढ़ीगत उराँव समाज की रूढ़ीवादी परम्परा, विश्वास—धर्म के अंतर्गत की गई शादी को वैध शादी का दर्जा समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा वैध शादी से उत्पन्न संतान को ही पारिवारिक उत्तराधिकार के लिए समाज जवाबदेह होता है।

रूढ़ीगत उराँव समाज में वैध शादी (Valid marriage) का तीन मापदण्ड है —

1. शादी करने वाले लड़का—लड़की की वैयक्तिक सहमति (Personal Consent).
2. पारिवारिक सहमति (Consent of Family)
3. सामाजिक सहमति (Consent of Society).

सामाजिक सहमति के साथ घर-परिवार के पितर एवं गांव का देव-देवी (देवता-पितर) का पूजा-पाट जुड़ा हुआ रहता है, तभी सामाजिक रूप से शादी को पूर्ण माना जाता है। (उराँव परम्परा में बेंज्जा के नेगचार निम्न हैं जो वैध शादी की प्रक्रिया (Process of valid marriage) –

(क) पुना कुटुम बेद्दा-नखरना – बेंज्जा (विवाह) का नेगचार आरंभ करने से पहले सामाजिक जिम्मेदारी के तहत लड़का पक्ष के लोग, विवाह योग्य लड़के के परिवार वाले की सहमति से, विवाह योग्य लड़की के परिवार वाले लोगों के साथ बातचीत किया जाता है और यदि सहमति बनती है तो किचरी बांजना होता है।

(ख) किचरी बांजना अरा खेड्ड अम्म झोकना – विवाह का रस्म लड़का पक्ष से आरंभ किया जाता है। जब वर पक्ष की ओर से कन्या के घर में कन्या को वस्त्र भेंट किया जाता है और कन्या एवं परिवार द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात, कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष के पाँच सदस्यों को लोटा में पानी/झरा में दुबला घांस (वर पक्ष के लोटा में पाँच दुबला घांस) और (कन्या पक्ष के लोटा में तीन दुबला घांस) के साथ दोनों पक्ष मुख्य सदस्य आपस में स्वीकार नामा जल आदान प्रदान करते हैं और धरती माता तथा पूर्वज के नाम से अर्पित करते हैं। उसके बाद कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के साथ मोंजरा/अभिवादन/गोड़लगी करते हैं। इस नेगचार के समापन के बाद दोनों पक्ष का पारिवारिक सहमति समझा जाता है जो विवाह का अगले कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए तैयारी किये जाने का संकेतक है। यह कन्या की सहमति तथा पारिवारिक सहमति (मन मंजुर) का द्योतक है। **Conventional marriage rituals for consent. It shows BRIDE & FAMILY CONSENT.**

(ग) बेंज्जा पा:ही/कोहाँ पा:ही (डली फड़ियारना/बरतई ननना )। कुकोय तरा, लड़की पक्ष तरफ। पारिवारिक एवं सामाजिक सहमति का द्योतक। कुडुख (उराँव) बेंज्जा नु कुकोय तरा बेंज्जा पा:ही गे कुक्कोस तरतर कुकोयन पा:कनर की झोकनर। **Essential's of marriage & consent in Family & Society. It shows FAMILY & SOCIAL CONSENT.**

(घ) बेंज्जा पा:ही/कोहाँ पा:ही (पा:ही ननना)। कुक्कोस तरा, लड़का पक्ष तरफ। पारिवारिक एवं सामाजिक सहमति का द्योतक। कुडुख बेंज्जा नु कुक्कोस तरा बेंज्जा पा:ही गे कुक्को सिन कुकोय तरतर पा:कनर की झोकनर। **Essential's of marriage & consent Family & Society. It shows FAMILY & SOCIAL CONSENT.**

(ङ) मड़वा गड़ना अरा कँडसा चोअना। **ESSENTIAL's OF MARRIAGE.**

(च) सगुन ओन्दोरना अरा अउपटन खसरना (बा:लका, नगड़ा खज्ज, आबदा तीखिल, इसुंग, दुब्बा घाँ:सी अदिल-बदिल)। **Essential's of marriage.**

(छ) बरात पर्ईरघाअना (बरात अँडसना अरा मेरघेराई)। **Conventional rituals of marriage. Rituals of confirmation by the society.**

(ज) पगसी पिटरी ओकोरना, गुँडखी तिरखिरना, पट्टा-सिंदरी टूड़तारना, सबहा सिन्दरी (सभा सिन्दरी) मनना। **Essential's of marriage & confirmation of marriage.**

(झ) सँडखी उरुखना/ढेलका पुजा। **Rituals of confirmation of marriage and pay homage to God, Ancestors & Deity (देवत्व)।**

(ज) पयसरी ननना/बयनला-बयनली बांजानखरना/डण्डा कट्टना। **Rituals after marriage in bride family to pay homage to God, Ancestors & Deity** (देवत्व)। इस अवसर में कई जगहों पर भाहो-भँयसुर एवं जेटसास- दामाद का रिस्ता तय होता है।

उराँव पारम्परिक विवाह में मुख्य 10 (दस) नेग-अनुष्ठान में से **Essential's of rituals of marriage** में उप क्रमांक (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) एवं (ज) आवश्यक है। कन्या की सहमति (**Concent**) की आवश्यकता के लिए क्रमांक (ख) (ग) (च) तथा (ज) अनुष्ठान द्योतक है। बेंज्जा का सभी नेग अनुष्ठान गांव के पारम्परिक पहान द्वारा अथवा गांव के जानकार व्यक्ति (शादी-शुदा व्यक्ति या महिलाएँ, जिनके पति-पत्नी दोनों जीवित हों) के द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। विधवा/विधुर द्वारा शादी अनुष्ठान नहीं कराया जाता है।

रूढीगत उराँव समाज में वैध शादी (**Valid marriage**) के प्रकार –

(i) मड़वा-कँडसा बेंज्जा – पारम्परिक विवाह। इसमें मड़वा गड़ाता है, कँडसा उठता है, ढाँक बजता है, पगसी ओकोरना, पट्टा सिंदरी टूडूरना, गुँडखी तिरखिरना तथा सबहा सिंदरी मनना होता है। यहाँ जुआठ में लड़की, बिना किसी पूर्वाग्रह के लड़का के बायें तरफ बैठती है, जो सहमति का प्रतीक है। ई बेंज्जा नु एँ:डो तरा (जों:खस अरा पेल्लो) मड़वा गड़रतार'ई। इस प्रकार के विवाह में, दोनों पक्ष के घर, मड़वा-कँडसा होंता है।

(ii) अतख्रा-पण्डी बेंज्जा – एका-एका बारी बेंज्जा एड़पा नु इन्दिर'इम अलहन मंज्जका ती मलता खुरजी मलका गुसन, कुकोयन, कुक्कोस गही एड़पा अँडसतअना मनी। अन्ने बेंज्जा नु कुक्कोस तरती बरात मल का:ली। कुकोयन, कुक्कोस गही एड़पा ता मड़वा नुम मड़वा-कँडसा नेग मनी। कभी-कभी लड़की रक्ष के घर कोई घटना हुई हो या लड़की के घर वाले बहुत गरीब हों जैसे स्थिति में लड़की को ससमन लड़का के घर पहुँचाया जाता है और लड़का के घर पर ही मड़वा-कँडसा बेंज्जा नेग होता है।

(iii) सगई-संगहा बेंज्जा – यदि दोनो पक्ष (लड़का एवं लड़की) का पूर्व में विवाह हुआ हो, तो बाद का विवाह, सगई-संगहा बेंज्जा तरीके से होता है। ऐसे विवाह में मड़वा नहीं गड़ाता, कँडसा नहीं उठता, ढाँक नहीं बजता, पगसी-पट्टा सिंदरी नहीं होता। जों:खस, कुकोयन पिटरी नू ओक्कर, सिंदरी टूडूदस, अन्तिले सबहा सिंदरी (सबुती चिअना चिअना सिंदरी) मनी। ई बेंज्जा नु एँ:डो तरा मड़वा-कँडसा मल गड़रतार'ई।

यदि लड़की का पहले बेंज्जा हुआ रहे तो दूसरी बार उसका सगई-संगहा बेंज्जा होता है। यदि लड़का शादी-शुदा रहा हो, तो कुँवारी लड़की से शादी के लिए लड़का बिना बारात के, बिना ढोल बाजा के लड़की के घर पहुँचता है। लड़का के घर मड़वा नहीं गड़ाता है। परन्तु लड़की के घर मड़वा-कँडसा होता है, ढोल बजता है, पर पहले लड़की का पूँप बेंज्जा नेग होता है, फिर संगहा बेंज्जा होता है। इसी तरह, यदि लड़की शादी-शुदा हो और लड़का कुँवारा हो, तो इस तरह की शादी में लड़का बारात लेकर जाता है, ढोल बजता है, परन्तु लड़की के घर मड़वा कँडसा नहीं गड़ाता है। पर लड़का का पहले पूँप बेंज्जा होता है। उसके बाद लड़का-लड़की का सगई-संगहा बेंज्जा किया जाता है।

(iv) सोहांगी (ढुकू-ढरा) बेंज्जा – ढुकू-ढरा बेंज्जा अर्थात पारिवारिक सहमति या सामाजिक सहमति न मिलने पर भी लड़का-लड़की दोनों पति-पत्नी की तरह रहते रहे हों या उनसे बाल-बच्चा बढ़ रहे हों, तो वैसे रिश्ते को उराँव समाज मान्यता नहीं देता है। परन्तु यदि लड़का या लड़की लम्बे समय तक साथ रहते हुए समाज के साथ सुलहनामा करते हैं तो सामाजिक दण्ड एवं सोड़ा मण्डी के बाद सबहा सिंदरी (सबुती चिअना सिंदरी) किया जाता है। परम्परागत उराँव समाज में स्वजाति विवाह की मान्यता है। अन्य जाति में विवाह हेतु **Special Marriage Act** के तहत निपटारा

हो। दुकू-ढरा बेंज्जा एवं सुलहनामा, उरॉव स्वजाति के अन्दर ही मान्य होगा। एन्ने लेखे बेंज्जा नू सोहांगी काना मधे हूँ मनी।

(v) **Special Marriage Act** बेंज्जा – यह शादी व्यक्तिगत जिम्मेदारी या पारिवारिक जिम्मेदारी पर होती है। इसमें समाज जिम्मेदार नहीं होता है। बेंज्जा ही पईत्त नु न्यायालय व्यवस्था, इबड़ा कत्थन अख़आ बिद्दी :-

1. बिंजिर'उ पेल्लो अरा जों:ख़स गही उमईर (**age of girl & boy**) एवन्दा रअई ?
2. बिंजिर'उ पेल्लो गही मन-मंजुर (**concent**) रअई का मला ?
3. **Essentials of marriage** क्या-क्या है ?
4. **Tyes of marriage** अर्थात क्या रूढ़ीगत उरॉव बेंज्जा **contractual** है / **sacramental** है / **mixed** है ?
5. बिंजिर'उर गही गही बेंज्जा एका बेसे मंज्जा, का – ने ननता:चा ?

कानून में विवाह हेतु उम्र सीमा / **Age of marriage as per Court of Law** - कानून में विवाह हेतु उम्र सीमा / **Age of marriage as per Court of Law** -

(i) उरॉव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। साथ ही विधवा विवाह प्रथा पूर्वकाल से है।

(ii) 12 बछरे बईनी जिया सिंगरा:रा,  
बईनी हिया पेल्लो मनर सपड़ा:रा।

धुमकुड़िया चन्ददो, मा:घे नु पुँईदया,  
बईनी जिया पेल्लो एड़पा अँड़िसया।

12 चन्ददो नू 13 मईख़ना खू:रिया,  
बुझुर-बुझुर पेल्लो जिया दू:रिया।

7 चान, मा:नीम करम उबुस्त'आ,  
करम डउड़न अमके किरितआ।

12 चन्ददो, 13 रा:गे पा:ड़ा-बे:चा परिदया,  
खोंड़हा नू उज्जना-बिज्जना लूर खू:जिया।

जू:ड़ी-पाँ:ती मना गे, चाँड़ मनो खोंड़हा लाट,  
बेंज्जेरआ खोंड़हा नुम, पंगगे रओ पड़हा पाट।।

भावार्थ :- 12 वर्ष में बहन का मन और शरीर श्रंगार (मासिक आरंभ होना) किया। बहन का मन किशोरी होने के लिए तैयार हुआ। धुमकुड़िया चांद, माघ महीने में चढ़ा, बहन को किशोरी गृह पहुंची। जब 12 महीना में 13 बार मासिक चक्र (मईख़ना) पूर्ण हुआ तो वह अपनी सुघड़ जवानी की स्थिति समझकर मुस्कुरायी। मासिक चक्र आरंभ होने के बाद 7 वर्ष तक करम उपवास कराएँ, और इस बीच शादी के रिस्ते के लिए आया हुआ करम डउड़ा को वापस न करें। और जब 12 महीना में 13 गीत-राग बहन सीख ले तो वह समाज के अन्दर जीवन जीने के लिए तत्पर समझें। विवाह बंधन के लिए जरूरत पड़ेगा समाज का साथ। समाज के अन्दर विवाह हो तो बना रहेगा, सामाजिक मर्यादा और विश्वास।

बेंज्जा (विवाह) के संबंध में एक गीत ऐसा गाया जाता है —

गोहला—कुड्डी ननर, मनी—मघा चाँखरा,  
सयो मघन बंदा बांज़िजया, रे,  
सयो मनिन बंदा बांज़िजया।  
जूड़ी जोंःख़स संगे मघा तरा काःदर,  
मघा बंदा निमन बांज़ो, रे,  
मनी बंदा निमन बांज़ो।

16. परम्परागत कुँडुख़ समाज की रूढ़ीवादी परम्परा, विश्वास—धर्म ही हमारी धरोहर है। इसलिए परम्परागत कुँडुख़ समाज रूढ़ीवादी परम्परा को बरकरार रखते हुए परम्परा के अनुसार की गई शादी से उत्पन्न संतान को ही वंशानुगत सम्पत्ति (पुस्तैनी जमीन) में हिस्सेदारी देता है। इससे इतर किसी अन्य विधि से की गई शादी से उत्पन्न संतान को पुस्तैनी जमीन में हिस्सेदारी के लिए परम्परागत समाज जवाबदेह नहीं है।

17. डली ढिबा — डली ढिबा का अर्थ डँड़ियाचका ढिबा। बेंज्जेरका खोःखा दव रआ गे चिआ गे डँड़ियाअना। डली झोकना = बेंज्जा मंज्जकन इंजिरना अरा डँड़ियाचकन झोकना। डली किरताअना = बेंज्जा बिहउडी अरा बेंज्जा बिउडही मना गे डँड़ियाचका झोकोचका ढिबन किरताअना। डली ढिबा, वधु मूल्य नहीं है (Dali dhiba is not a bride price)। इसे वधु मूल्य या bride price न समझा जाय। कोहाँ पाःही के अवसर पर मयसरी और डलीढिबा (समाज के पंच द्वारा बेंज्जा (ववाह) की गवाही तथा बेंज्जा के बाद साथ निर्वहन के सहमति का प्रतिकात्मक धन (खुरजी) है जिसे कन्या की माँ या महिलाएँ अँचरा में झोकती हैं जो रिस्ता सम्हालने जैसा है। डली फड़ियाअना कार्य परिवार के लोग नहीं करते हैं, यह सामाजिक प्रथागत प्रचलन है। यह दोनों पक्षों के पंचों द्वारा तय होता है।

परम्परागत उराँव समाज में अपने समाज के पंच द्वारा बेंज्जा सम्पन्न कराया जाता है और विवाह विच्छेद की स्थिति आने पर पंच लोगों को ही बेंज्जा सम्पन्न होने की गवाही तथा बेंज्जा के बाद साथ निर्वहन के सहमति का प्रतिकात्मक धन (खुरजी) डली ढिबा को लौटाना पड़ता है, उसके बाद ही बिउडही (विवाह विच्छेद) को सामाजिक मान्यता मिलती है।

18. मयसरी — मया (ममता) + सरी (प्रतीक, प्रतिनिधि) = ममता का प्रतीक, भेंट या उपहार। कुछ लोग सादरी/नागपुरी बोलते हुए में मायसारी शब्द माय की साड़ी कहने लगते हैं, जो कुँडुख़ भाषा के अनुसार उचित नहीं है। सादरी/नागपुरी में बेंज्जा के लिए शादी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि शादी शब्द को अरबी मूल का माना गया है।

कुँडुख़ बेंज्जा नु कुकोय तरतर बेंज्जा मंज्जका खोःखा तंगदन बिदा ननो बाःरी — पाःकर की कुक्कोस गही खोंदहा तरतर गे जिमा चिअनर अरा कुक्कोस गही एड़पा—पल्ली तरतर कुकोय तरतर ही चिच्चका जिमन झोकनर दरा तमहँय एड़पा—पल्ली तरा ओन्दोरनर। अउला तिम कुकोय तंगहय बेंजेरका एड़पा अरा आ पद्दा ता मनी काःली। ईन्लता बेडा नू हूँ सिसई—गुमला पहईट नू पुना खेडो गही नाःमे ती पयसरी नेःग मनी। ई नेःग नू पुना खेडो अरा पद्दा ता देव—देवा अरा पचबल पुरखर संगे चिनहाँ परचा ननतार'ई। इदी गे पद्दा ता नैगस रंगुवा खेरन चराबअदस की बेगर एड़बम अम्बदस चिअदस।

19. कुँडुख़ बेंज्जा में किचरी बांःजना नेःत—नेःग अरा खेड्ड अम्म झोकना नेःत—नेःग से आरंभ होता है। इस तरह जब सामाजिक अनुशासन में रहने के लिए परिवार सहमत होने पर ही समाज के लोग बेंज्जा करवाते हैं और जब सामाजिक अनुशासन को किसी पक्ष के द्वारा तोड़ा जाता है तो शिकायत प्रमाणित होने पर सामाजिक जुर्माना करवाया

जाता है। यही, बिंज्जुर गही हउड़ी अर्थात बिहउड़ी है। बअनर बन्दा बां:जी, अन्नेम कुक्को-कुकोयर संग्गे नु बां:जरनर। बां:जरआ गे बेंज्जा। कुँडुख बेंज्जा में पाँ:ती ओक्कना ने:ग, वर-वधु द्वारा जुआठ में साथ बैठकर सहमति जताया जाता है।

बां:जना का अर्थ अंगरेजी में **to cover, to arrange in a discipline way for safeguard and good objectives** की तरह है। बेंज्जा, सामाजिक अनुशासन है और इसे तोड़ने वाले पर शिकायत प्रमाणित होने से सामाजिक जुर्माना या बिहउड़ी जइरबना भरवाया जाए।

20. बेंज्जा बिउड़ही (बिंज्जुर गही उड़हीयाताचका/विवाह विच्छेद/छुटा-छुटी/ तलाक) :- बेंज्जा सामाजिक विधान है, अतएव यदि कोई विवाह विच्छेद करना चाहता है तो शिकायत करने पर समाज द्वारा बिहउड़ी जइरबना (सामाजिक जुर्माना) किया जाता है और कन्या तरफ से डली ढिबा को लौटाना पड़ता है, जिसे डली किरताअना कहा जाता है। समाज में ऐसी ही प्रथा प्रचलन में है। समाज में डली ढिबा वापसी के बाद ही विवाह को मुक्त माना जाता है। बेंज्जा बिउड़ही पड़हा पचोरर मझी मनी।

नोट - वैसे कई आदिवासी समाज में महिला को तलाक लेने का अधिकार खाशकर सिक्किम के आदिवासी समाज में नहीं है। (समाचार पत्र-पत्रिका में छपे लेख के आधार पर)।

बिहउड़ी :- बिंज्जुर गही हउड़ी = बिहउड़ी। उरॉव रूढी-परम्परा नू बिहउड़ी गही मईनता बैसकी अरा जइरबना बिहउड़ी। उरॉव रूढी-परम्परा में बेंज्जा बिहउड़ी (छुटा-छुटी/विवाह विच्छेद/तलाक) की प्रथागत बातें एवं उरॉव रूढी-परम्परा में शादी के आवश्यक विधान :-

(i) बेंजेरका पददा सबहा मजही पंचोरा (पंचर गही ओहरा) पिटरी उक्की अरा फरीफटी मनी। पिटरी ओकताअना गे अड्डा सिरे, पंचपसरी ढिबा लग्गो। ईन्नलता बेडा नू ईद ग्रामसभा बातार'ई। बैठक - I (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस का:लो अरा पंचोरा गही कत्था दरा नेवई टूड़तारओ।)

(ii) बेंजेरका पददा नू पंचोरा मझी कत्था मल फड़ियारका ती ओन्द पड़हा मझी मलता पड़हा पददा मझी पिटरी ओकोरना/पिटरी ओकताअना गे अड्डा सिरे, पंचपसरी ढिबा लग्गो। बैठक - II (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस का:लो अरा पंचोरा गही कत्था दरा नेवई टूड़तारओ।)

(iii) पड़हा पददा पिटरी ओकोरना नू हूँ मल फड़ियारका ती मदईत पड़हा (एक से अधिक पड़हा) मझी पिटरी ओक्कना मनी। पिटरी ओकताअना गे अड्डा सिरे, पंचपसरी ढिबा लग्गो। बैठक - III (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस का:लो अरा पंचोरा गही कत्था दरा नेवई टूड़तारओ।)

पड़हा पचोरा पिटरी ओकोरना नू हूँ मल फड़ियारका ती अबडा नालिस-फउदारिन ईन्नलता कोर्ट (न्यायालय) नू /मला होले बिसुसंदरा नू नालिस नना का:ला आंगनर। असन आ अड्डा ता लेखे, पंचपसरी ढिबा लग्गो। उरॉव पारम्परिक बिहउड़ी जइरबना या विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय तक जाने के लिए कम से कम तीन बैठक (क्रमांक (i), (ii) एवं (iii) वाला बैठक करवाना आवश्यक होगा।

उच्च न्यायालय रांची द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिकी लिण्डा में कहा गया है कि आदिवासी मामले में उनके परम्परागत सामाजिक तरीके के फैसले के आधार पर न्याय किया जाय। बिहउड़ी = बिंज्जुर गही हउड़ी। हउड़ाअना = ढूँढ़ना, कारण तक पहुँचना। इस तरह बिहउड़ी = विवाह टूटने के कारण तक पहुँचना और सामाजिक जुर्माना तय करना एवं डली किरताअना करना पड़ता है।

नोट – बिहउड़ी मंज्जका अरा डली किरताचका (विवाह संबंध को त्यागने की प्रक्रिया किया जाना) = बेंज्जा हउड़ी (छुटा-छुटी/विवाह विच्छेद/तलाक)। बेंज्जा एक सामाजिक संस्कार है तथा कुँडुख़ जीवन-जोड़ी में कँडसा-मड़वा बेंज्जा एक बार होता है। यदि वर-वधु दोनों कुँवारे हो तो मड़वा-कँडसा बेंज्जा होता है और यदि वर-वधु दोनों की पहले शादी हुई हो तो संगहा-सगई बेंज्जा होता है। परन्तु यदि लड़की की शादी पहले हो चुकी हो तथा लड़का कुँवारा हो तो, लड़का का पहले फूल शादी करने के बाद सगई-संगहा बेंज्जा नेग होता है। सी तरह लड़का की शादी पहले हो चुकी हो तथा लड़की कुँवारी हो तो, लड़की का पहले फूल शादी करने के बाद सगई-संगहा बेंज्जा नेग होता है। परम्परागत उराँव समाज में विवाह को न मानने पर सामाजिक अपराध की तरह समझा गया है, जिसके लिए बिहउड़ी (सामाजिक जुर्माना) देना पड़ता है तथा लड़की वालों को बिहउड़ी के साथ, डली किरताअना नेग भी करना होता है, उसके बाद ही बेंज्जा बिउड़ही मान्य होता है।

बिउड़ही (बिंज्जुर गही उड़हीयाताचका) या छुटा-छुटी या तलाक के कारण :-

- (क) पत्नी का किसी दूसरे पुरुष के साथ या पति का दूसरी औरत के साथ, अवैध संबंध साबित हो।
- (ख) यदि पति नामर्द या पत्नी बांझ हो या बांझ साबित हो।
- (ग) मे:त/मुक्का संगे-संगे मल रअना (दो साल तक अलग रह रहे हों तो)।
- (ध) जहड़ी मे:त/मुक्का (क्रूर पति या पत्नी)।
- (ड) ठगुवा बेंज्जा (रोग छिपाकर शादी तथा धोखाधड़ी कर शादी करना)।
- (च) पति या पत्नी का पागलपन।
- (छ) प्रथागत धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में जाना।
- (ज) पति या पत्नी की मृत्यु अथवा 7 साल तक जीवित होने का प्रमाण न मिलने पर।

कुँडुख़ में, बिउड़ही (बिंज्जुर ही उड़हीयाचका/छुटा-छुटी/विवाह विच्छेद/तलाक) एक कठिन प्रक्रिया है। उराँव समाज में मान्यता है कि परम्परागत सामाजिक बेंज्जा एक सामाजिक विधान है, इसलिए जो विवाह को नहीं मानता है वह सामाजिक विधान को भंग करता है और सामाजिक विधान को भंग करने वाले से सामाज द्वारा बिहउड़ी तय किया जाता है। जिसके तहत उन दोनों परिवार (वर-वधु के परिवार) को सामाजिक जुर्माना (बिहउड़ी जईरबना) तथा डली ढिबा किरताअना करना पड़ता है। डली ढिबा किरताअना खर्दी जतरा डण्डी इस प्रकार है :-

1. कल मइयाँ कल – कल कोय,  
जौनख़दिदस होअआ बरचस।
2. ए:न मला का:लोन ददा,  
जोड़ी जौ:ख़स जिया चिअदस।  
ए:न मला का:लोन ददा,  
संगी जौ:ख़स जिया चिअदस।
3. ए:न मला का:लोन ददा,  
जोड़ी जौ:ख़स जिया चिअदस।  
ए:न मला का:लोन ददा,  
डली ढिबन किरतर चिअआ।

भावार्थ :- इस गीत में परम्परागत उराँव समाज में प्रचलित वैयक्तिक प्रेम के चलते अपने वैवाहिक संबंध तोड़ने के लिए एक बहन अपने भाई से निवेदन करती है। भाई कहता है – जाओ बहन जाओ, दामाद बाबू ले

जाने के लिए आये हैं। इसपर बहन कहती है – नहीं भैया नहीं, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरा हमउम्र साथी, मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है। इसलिए हे भैया – आप मेरा डली ढिबा वापस कर दीजिए। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। परम्परागत उरांव आदिवासी समाज में विवाह विच्छेद के लिए डली ढिबा (विवाह रस्म के शगून का प्रतीक धनराशि जिसे वर्तमान में सवा रूपया, ढाई रूपया से बढ़ाकर ग्यारह रूपया के करीब किया गया है) को लौटाना पड़ता है। डली ढिबा लौटाने से पहले शिकायत मिलने पर पंच बैठता है और बिहउड़ी जुर्माना लगाया जाता है। उसके बाद ही विवाह विच्छेद को सामाजिक मान्यता मिलती है। वैसे कई दूसरे आदिवासी समाज में महिला को तलाक लेने का अधिकार (सिक्किम के आदिवासी समाज में) नहीं दिया जाता है।

21. खोःरपोस :- मेःतस तरती बेंज्जा अम्बरका ती मुक्का अरा खद्दर गे उज्जा-बिज्जा खतरी मेःतस खोःरपोस (खोःरा पोसोरआ गे खुरजी) चिओस। पहें बेंज्जा अम्बरना नू मुक्का गही दोसी मंज्जका ती बिहउड़ी ननो बाःरी मेःतस खोःरपोस चिआ गे कसूरदार मल मनोस। मुक्का, खोःरपोस होअर तंगआ ससरईर नू तंगआ ती जुदम रआ उंगी, एंदेर गे का अदिन पंचर बेंज्जा ननतअर तमहंय पद्दा नू ओन्दोरनर अवंगे अदिन पंचर पद्दा ती बड़ियम मल गुछाबअनर। अबड़र गही खद्दन तम्बस एःरोस अरा तंगदस गे हिंसा-बटा चिओस।

कुँडुख में, विवाह विच्छेद (तलाक) की प्रक्रिया, विशिष्ट है। उरांव समाज में मान्यता है कि परम्परागत सामाजिक बेंज्जा एक सामाजिक विधान है, इसलिए जो विवाह विच्छेद करता है वह सामाजिक विधान को भंग करता है और सामाजिक विधान को भंग करने वाले से सामाज द्वारा बिहउड़ी (सामाजिक जुर्माना) तय जाता है, जो दोनों पक्ष अर्थात लड़का पक्ष या लड़की पक्ष, दोनों पर लागू होता है और बिहउड़ी के लिए डली किरताअना क्रिया सिर्फ लड़की पक्ष के लिए लागू होता है। विवाह विच्छेद अर्थात बेंज्जा बिहउड़ी के लिए डली किरताअना आवश्यक है।

22. कोंयछंदा खद्द – गोद लिया हुआ बच्चा। कोंयछा (माँ के आंचल की थैला) + छंदा (छांदा हुआ)।  
कोंयछंदा खद्द (गोद लिया हुआ बच्चा) अपनाने का कारण :-

1.पति/पत्नी का जब कोई अपना बच्चा न हो।

2. पारिवारिक संपत्ति का देखरेख करनेवाला न रहने पर बच्चा गोद लिया जाता रहा है। किसे गोद लिया जाता है –

1.परिवार या खानदान के बच्चे को।

2. किसी अपने कुटुम्ब अथवा गोत्र-वंश के बच्चे को।

3. गैर जाति आथवा दूसरे जाति-वंश के बच्चे को गोद लेने के लिए रूढ़ीगत उरांव समाज में वर्जित है।

23. कुँडुख भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि है। इसे (तोलोंग सिकि लिपि को) झारखण्ड सरकार में 2003 से तथा पश्चिम बंगाल सरकार में 2018 से कुँडुख भाषा की लिपि की मान्यता मिली है। इसलिए, अपनी भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु बिसुसेन्दरा यह निर्णय करती है कि – स्कूलों में हिन्दी एवं अंगरेजी भाषा विषय के साथ कुँडुख भाषा (तोलोंग सिकि के साथ) विषय की भी पढ़ाई-लिखाई करनी है। इसके लिए हम केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से मदद लेंगे। ज्ञात है कि केन्द्र सरकार एवं झारखण्ड सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया है, जिसमें हिन्दी, अंगरेजी एवं मातृभाषा शिक्षा नियम लागू है।

24. कुँडुख भाषा (तोलोंग सिकि के साथ) को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया जाय। इसके लिए एक कमिटी गठित कर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया जाय।

25. झारखण्ड ग्राम सभा नियमावली 2003 अधिनियम की कंडिका 5 में प्रावधानित है कि- कंडिका 5(ग) – ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जाएगा। मुखिया की अनुपस्थिति में

उप-मुखिया बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों ही अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता, उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जो संबंधित पंचायत का मुखिया, उपमुखिया या उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य नहीं हों और उस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो, जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुण्डा, पहान, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो।

उपरोक्त के संबंध में बिसुसेन्दरा में निर्णय लिया गया कि – हमारे अधिसूचित क्षेत्र में इस बात का कड़ाई से पालन किया जाय कि ग्राम सभा की अध्यक्षता हमेशा ही पहान के द्वारा या महान की अनुपस्थिति में महतो के द्वारा किया जाएगा।

(नोट – अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता, उस गांव के पहान, महतो करेंगे – यह अच्छा फैसला है। इसके लिए सरकार, परम्परागत पहान, महतो से परम्परागत कार्य, संस्कार-संस्कृति के बचाव एवं विकास में वित्तीय मदद करे। पर, परम्परागत पहान, महतो से विकास के कार्यों में या ठेकेदारी कार्य से जोड़ने का कार्य न करे। इस विषय पर ग्राम सभा नियमावली 2003 में सरकार संशोधन करे।)

26. परम्परागत सामाजिक व्यवस्था पड़हा, धुमकुड़िया एवं अखड़ा को पुनर्जीवित कर इसे वर्तमान प्रशासनिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। गाँव-समाज में झगड़ा-झंझट या गिला-सिकवा का निपटारा स्थानीय तरीके से एवं कानून संमत हो। दोसी व्यक्ति को पंच द्वारा निर्धारित विधि संमत जुर्माना भी देय होगा। इस सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए प्रतिवर्ष पचोरा पड़हा बैठक हो। इसी तरह प्रत्येक तीन वर्ष में बिसुसेन्दरा बैठक तथा राजी बिसुसेन्दरा 12 वर्ष में एक बार अयोजित हो। बिसु सेन्दरा सामाजिक संसद सह आखरी सामाजिक न्यायालय की तरह कार्य करेगा। बिसुसेन्दरा का अर्थ बिहनिन (बि) सुघड़ (सु) ननना गे सेन्दरा अर्थात् वंश शक्ति को सुरक्षित तथा संवर्द्धित करते रहने हेतु सेन्दरा है। बिसुसेन्दरा का कार्य समाज की आत्मरक्षा या अन्यान्य सामाजिक रक्षा हेतु सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार करना है, जो आई.पी.सी. 96-100 तक में वर्णित है।

नोट – धुमकुड़िया प्रवेश का समय या जोख एड़पा प्रवेश का समय, माघ महीना अथवा माघ पुर्णिमा तक में होता था। वहीं पेल्लो एड़पा में प्रवेश का समय हेतु उराँव युवतियाँ “सिनगी दइई पेल्लो महवा उल्ला” अर्थात् बैशाख पुर्णिमा के दिन किशोरी गौरव दिवस के रूप में संस्कारित होना चाहती हैं। तथ्य है कि बैशाख पुर्णिमा के ही दिन जब उराँव पुरुष वर्ग, राजी बिसुसेन्दरा गये हुए थे तब बैरी लोग आक्रमण किये, जिसमें हमारी उराँव महिलाएँ एवं युवतियाँ दो बार जीर्ती पर तीसरी बार वे असफल हो गईं, जब सुर्योदय होने लगा।

27. पड़हा के अन्तर्गत 10 से 15 गाँव के लोग आपसी सामाजिक सहमति से एक मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय चलाएँ। इसके लिए प्रत्येक परिवार से पड़हा के नाम पर 01 (एक) सूप धान तथा धुमकुड़िया के नाम पर साप्ताहिक मुठा चावल जमा करेंगे और आमद-खर्चा का हिसाब रखते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति एवं धुमकुड़िया प्रबंधन समिति द्वारा संचालित किया करें।

28. कुँडुख समाज अपने पारम्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत कोई पति-पत्नी अपने वंश-परिवार में आपसी सहमती के बाद अपने वंश-परिवार के बच्चे को गोद लेकर माय-बाप (माता-पिता) बन सकता है और स्वयं द्वारा अर्जित धन को उस बच्चे को दे सकता है। इसके लिए गोद लेने वाले की भी सहमति लेनी होगी और गोदनामा की प्रक्रिया को

ग्राम सभा से मान्यता लेना होगा। साथ ही जिसे गोद लिया जाना हो, उसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक न हो और गोद लिये जाने के रस्म के साथ पंच लोगों के लिए सोड़ा मण्डी आयोजन करना होगा।

29. जब परम्परागत कुँडुख (उराँव) समुदाय के परिवार में कोई बेटा न हो, उस स्थिति में माता-पिता, द्वारा अपने बेटे के पति को घरजमाई रखने का रिवाज है, परन्तु इसके लिए बेटे को विवाह के समय ही यह बात ग्राम सभा में सामने रखना होगा कि वे दामाद को घर-दमाद रखना चाहते हैं और इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। दामाद बाबू तभी तक घर-दमाद रहेंगे जबतक दामाद के सास-ससुर जीवित रहे। सास-ससुर की मृत्यु के पश्चात बेटे-दामाद, अपने पिता के घर (दामाद के पिता का घर) वापस चला जावे या ससुराल में बसने-बसाने की जिम्मेदारी सामाजिक समरस्ता के अनुसार ग्रामसभा का निर्णय मान्य होगा।

30. कैडेस्टल सर्वे (1908 ई0 का खतियान) का 115 वॉ वर्ष पूरा हो गया। तब से अब तक, एक लम्बा समय बीत चुका है। अब समाज एवं समय की मांग के अनुसार पड़हा-पंच एवं ग्रामसभा को एक साथ मिलकर कैडेस्टल सर्वे के आधार पर खतियानी वारिशों का कुर्सीनामा, खेवट से जोड़कर तैयार करें और आवश्यकता पड़ने पर सरकार से भी मदद लें। यह कार्य आनेवाली पीढ़ी के लिए सद्भावना और शांति का रास्ता बनाएगा।

31. बिसुसेन्दरा में पारित नियम का अनुपालन, प्रत्येक गाँव में पारम्परिक तरीके से चले आ रहे पद्दा पंच्या (ग्राम सभा) के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें पद्दा (गाँव) न्याय पंच सदस्य निम्न होंगे –

- (क) पहान (भुँईहरी पहनई)।
- (ख) महतो (भुँईहरी महतवई)।
- (ग) पुजार (भुँईहरी पुजरई)।
- (घ) जेठ रैयत परिवार से एक मनोनित सदस्य।
- (ङ) गौरो परिवार से एक मनोनित सदस्य।
- (च) भंडारी परिवार से एक।
- (छ) जोंख कोटवार
- (ज) पेल्लो कोटवार
- (झ) मुखी जोंख (अधेड़ उम का पुरुष कोटवार)
- (ञ) मुखी पेल्लो (अधेड़ उम की महिला कोटवार)
- (ट) गांव के सभी वयस्क महिला एवं पुरुष, ग्राम सभा का सदस्य होंगे।

अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) के अंतर्गत, ग्रामसभा की अध्यक्षता, झारखण्ड ग्रामसभा नियमावली 2003 के तहत संबंधित गांव के परम्परागत पहान करेंगे और पहान की अनुपस्थिति में संबंधित गांव का परम्परागत महतो करेंगे। ग्राम सभा (पद्दा पंच्या) द्वारा, पद्दा न्याय पंच अथवा ग्राम न्याय पंच का गठन किया जाए। पहान का चुनाव अध्यात्मिक विधि द्वारा अर्थात् पाय रेंगवाना अनुष्ठान विधि द्वारा किया जाय। इस विधि से चयनित प्रतिनिधि को ही अंतिम माना जाए। इसी तरह पाय रेंगवाना अनुष्ठान विधि द्वारा पड़हा बेल का चयन किया जाता है। इसलिए अनुष्ठान विधि से चयनित पड़हा बेल को ही अंतिम माना जाएगा। पड़हा बेल को ही पड़हा बैठक की अध्यक्षता करने तथा पड़हा जतरा में घोड़ा चढ़ने का अधिकार मिलता है। पड़हा-बेलपंच्या की बैठक में शिकायत कर्ता द्वारा अध्यक्षता हेतु चयनित करने का अधिकार होगा तथा उसे ही शिकायत दर्ज करना होगा। बिसुसेन्दरा बैठक में जितने भी पड़हा वाले हों, वे बैठक वाले गांव सीमा क्षेत्र का पड़हा बेल द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा।



**परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, गुमला मण्डल  
के अन्तर्गत  
परम्परागत 22 ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा 2024  
स्थान – पड़हा पिण्डा, ग्राम : सैन्दा, थाना सिसई, जिला गुमला (झारखण्ड)  
में उपस्थित माननीय पंचगण –**

क्र.म.	नाम	गाँव	पड़हा	थाना	हस्ताक्षर
<b>(क) 09 पड़हा करकरी-अताकोरा</b>					
1.	बिश्वनाथ उरांव	करकरी/राजा	9 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
2.	चैतु पहान	अताकोरा/देवान	9 पड़हा	भरनो	ह०/अ०
3.	जुब्बी उरांव	सियांग/बड़काअंदाज	9 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
4.	बलकु उरांव	पंडरानी/चौकीदार	9 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
5.	सुरेश पहान	बुड़का/पइनभारा	9 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
6.	पाथो पहान	सैन्दा/कोटवार	9 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
7.	बिनोद पहान	बघनी/बइलचलवा	9 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
8.	सोमा उरांव	मंगलो/करठा	9 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
9.	मनी उरांव	पबेया/चटाई बिछवा	9 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
<b>(ख) 07 पड़हा चैगरी-शिवनाथपुर</b>					
1.	फागु पहान	चैगरी/राजा	7 पड़हा	पुसो	ह०/अ०
2.	बिरसा पहान	शिवनाथपुर/देवान	7 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
3.	करमा उरांव	लावागई/कोटवार	7 पड़हा	पुसो	ह०/अ०
4.	महाबीर पहान	सेमरा/करठा	7 पड़हा	पुसो	ह०/अ०
5.	बुदू पहान	कुरगी/पइनभारा	7 पड़हा	पुसो	ह०/अ०
6.	मुण्डा पहान	खेर्सा/भंडारी	7 पड़हा	पुसो	ह०/अ०
7.	फागु उरांव	कोड़ेदाग/जुतबोहा	7 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
<b>(ग) 05 पड़हा चैगरी-बटकुरी</b>					
1.	चन्द्रशेखर उरांव महतो	चैगरी/राजा	5 पड़हा	भरनो	ह०/अ०
2.	गोंयदा पहान	बटकुरी/देवान	5 पड़हा	भरनो	ह०/अ०
3.	बिनोद पहान	मलगो/कोटवार	5 पड़हा	भरनो	ह०/अ०
4.	लखना पहान	मोरगांव/करठा	5 पड़हा	भरनो	ह०/अ०
5.	बुधू मुण्डा पहान	लोंगा/चिलम ल	5 पड़हा	भरनो	ह०/अ०
6.	श्यामनारायण पहान	मकड़ा/कुवंरबेल	5 पड़हा	दूधभइया	भरनो
<b>(घ) गणमान्य एवं प्रबुद्ध पंचगण</b>					
1.	मंगरा उरांव	मंगलो	9 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
2.	पंचाल उरांव	अताकोरा	9 पड़हा	भरनो	ह०/अ०
3.	राजेन्द्र भगत	तिलसिरी	7 पड़हा	घाघरा	ह०/अ०
4.	जितेश उरांव	लिटाटोली	5 पड़हा	गुमला	ह०/अ०
5.	श्रीमती फूलकुमारी केरकेट्टा	अताकोरा	7 पड़हा	भरनो	ह०/अ०
6.	श्रीमती राजेशवरी उरांव	बटकोरी	5 पड़हा	भरनो	ह०/अ०
7.	श्रीमती पुष्पा उरांव	पंडरानी	9 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
8.	श्रीमती सुनीता उरांव	चैगरी घाघटोली	7 पड़हा	पुसो	ह०/अ०
9.	पुनई उरांव	सैन्दा	7 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
10.	बिजय उरांव	जलका	5 पड़हा	सिसई	ह०/अ०
11.	नन्दु उरांव	महादेव चैगरी	5 पड़हा	भरनो	ह०/अ०
12.	श्रीमती सुकरमुनी उरांव	कोड़ेदाग	7 पड़हा	सिसई	ह०/अ०

रिपोर्टर : बुधराम उरांव, सियांग (बड़काअंदाज), 09 पड़हा करकरी-अताकोरा।

दिनांक – 19 मई 2024



## 6. माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड—छतीसगढ़ का आदेश एवं परम्परागत उरांव समाज की न्यायिक चुनौतियाँ

माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के द्वी-सदस्यीय पीठ द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिकी लिण्डा के मामले में दिनांक 08.04.2021 के फैसले के कंडिका 29 में कहा गया है कि - “We, accordingly, set aside the judgement dated 16.03.2018, passed in Original Suit No. 583 of 2017 by the Principal Judge, Family Court, Ranch, and remand the matter to Family Court to frame an appropriate issue in regard to existence of provision of customary divorce in the community of the parties to these proceeding to get marriage dissolved. We permit the parties to amend the pleading, if so desire and also to lead evidence to prove the existence of a provision of customary divorce in their community. The Family Court will consider the matter afresh without being influenced by the observations made by this court hereinabove expeditiously. (तदनुसार, हम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा 2017 के मूल वाद संख्या 583 में पारित दिनांक 16.3.2018 के निर्णय को रद्द करते हैं और इस मामले को कुटुम्ब न्यायालय को भेज देते हैं ताकि वह इस मामले में विवाह भंग करने के लिए पक्षकारों के समुदाय में प्रथागत तलाक के अस्तित्व के संबंध में एक उपयुक्त मुद्दा बनाये। हम पक्षकारों को, यदि वे ऐसा चाहते हैं तो, याचिकाओं में संशोधन और अपने समुदाय में प्रथागत तलाक के प्रावधान के अस्तित्व को साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं। कुटुम्ब न्यायालय इस न्यायालय द्वारा एतद्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना शीघ्रता से इस मामले पर नए सिरे से विचार करेगा।

# फैमिली कोर्ट को कस्टमरी लॉ के तहत तलाक देने की है शक्ति : हाइकोर्ट

## वरीय संवाददाता, राँची

झारखंड हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने उरांव जनजाति के प्रार्थी के तलाक से संबंधित मामले को राँची के फैमिली कोर्ट को सुनवाई के लिए वापस भेज दिया, साथ ही फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया, खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात, जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है, एक सेक्यूलर कानून है,

खंडपीठ ने जोर दिया कि फैमिली कोर्ट एक्ट-1984 सभी धर्मों के लिए लागू एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, फैमिली कोर्ट में कस्टम को प्रूफ करने की जरूरत होगी, कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर निर्णय लेने की शक्ति फैमिली कोर्ट के पास है, मामले की सुनवाई के दौरान एमिक्स क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन व

- उरांव जनजाति के प्रार्थी की तलाक की याचिका का मामला, फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
- हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को किरा खारिज, सुनवाई के लिए मामले को वापस भेज दिया
- कहा : फैमिली कोर्ट एक्ट एक सेक्यूलर लॉ है, कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला कर सकता है



कुमार वैभव ने पक्ष रखा, उल्लेखनीय है कि उरांव जनजाति के युवक का विवाह वर्ष 2015 में हुआ था, विवाहेतर संबंध के कारण वह पत्नी से तलाक चाहता था, यह है मामला : उरांव जनजाति के युवक ने राँची फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए

याचिका दायर की थी, फैमिली कोर्ट ने तलाक के लिए दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मेंटेनेवल नहीं है, यह कोर्ट कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला नहीं सुना सकता है, कस्टमरी लॉ लिपिबद्ध नहीं है, यह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, प्रार्थी ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी,

**उरांव जनजाति समाज में छुटा-छुटी का है प्रावधान :** एमिक्स क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने बताया कि उरांव जनजाति समाज में बैठक कर निर्णय लेकर पति-पत्नी के अलग होने (छुटा-छुटी) का प्रावधान है, तलाक के लिए इच्छुक युवक ने समाज में बैठक के लिए मामले को आगे किया, लेकिन लड़की (पत्नी) के शामिल नहीं होने के कारण समाज की बैठक नहीं हो पायी, इसके बाद युवक ने अपने कस्टमरी लॉ का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट में धारा-सात के तहत तलाक के लिए मामला दायर कर दिया,

इसी तरह बिलासपुर, छत्तीसगढ़, के नवभारत समाचार पत्र में दिनांक 26.12.2023 को खबर छपी – हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक का क्या नियम है ? तथा माननीय उच्च न्यायालय ने पिटिशनर को नये सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी।”

नवभारत

Bilaspur City - 26 Dec 2023 - 26 Nya 1a  
epaper.navabharat.news

रन लम्बो। इसके विरुद्ध करन पर। सपाहा। सपाहा का सस्पड कर। दया ह।

## हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक के क्या नियम हैं

नवभारत रिपोर्टर। बिलासपुर।

हाईकोर्ट की डिब्बीजन बेंच ने तलाक की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि, केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर आदिवासी समाज में तलाक के मामले में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की भी छूट दी है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के डीबी में इस मामले की सुनवाई हुई। यह मामला कोरबा जिले का है, जहां आदिवासी समाज से आने वाले पति-पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पत्नी ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए



परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी थी और तलाक की अर्जी को नार्मल कर दिया था। पत्नी ने इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। याचिका में पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की मांग की थी। हाईकोर्ट में

याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की छूट

सुनवाई के दौरान जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कहा याचिकाकर्ता के एडवोकेट से पूछा कि क्या आदिवासी समाज में हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। उन्होंने एडवोकेट को एक्ट की धारा पढ़ने के लिए कहा और साफ किया कि, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस प्रकरण में तलाक मंजूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान पति की ओर से तलाक की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की बात कही गई।

डीबी ने स्पष्ट किया कि, अपील पर आपत्ति नहीं हो सकती। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम हैं। इस पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश याचिका दायर करने की भी छूट दी है।

‘माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के इस आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों को पालन करते हुए परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई-भरनो 2023 द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से चिंता-विमर्श कर, त्रिस्तरीय परम्परागत सामाजिक न्याय पंच पद्धति – 1) पददा (ग्राम) न्याय पंच 2) पड़हा न्याय पंच 3) बेलपंचा न्याय पंच, के स्तर पर बिसुसेन्दरा (परम्परागत उराँव समाज का सामाजिक संसद स्वरूप) में सामाजिक मार्ग-दर्शन तैयार किया गया। उराँव (कुँडुख) भाषा में गांव को पददा कहा जाता है तथा कई गांव का समूह (परम्परागत रूप से निर्धारित) मिलकर पड़हा बैठक करते हैं। इसमें, गांव के किसी भी मुद्दे को पहले ग्राम सभा के सामने, शिकायत करना होगा। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कर बुलावे तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करे और शिकायत का निपटारा करे।

इस प्रणाली द्वारा दिये गए फैसले की समीक्षा अथवा चुनौती के लिए क्रमवार, अपील I – पड़हा न्याय पंच द्वारा एवं अपील II – बेलपंचा न्याय पंच (सामाजिक न्याय व्यवस्था बर्डसकी में कम से कम तीन या पांच पड़हा बेल शामिल हो) द्वारा निर्णय करें। बेलपंचा न्याय पंच की अध्यक्षता, याचिकाकर्ता द्वारा आवेदित पड़हा बेल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय मान्य होगा। उपरोक्त तीनों बैठक की प्रक्रिया में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा या पड़हा का अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय को उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर कराएँ या ठेपा निशान लगाएँ।”

‘माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के इस आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों को पालन करते हुए परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई—भरनो 2023 द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से विचार—विमर्श कर, त्रिस्तरीय परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बे:लपंच्चा न्याय पंच पद्धति – (1) पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा न्याय पंच), यह ग्राम स्तर पर होता है। (2) पड़हा पंच्चा (पड़हा न्याय पंच), यह उराँव समाज में पड़हा स्तर पर होता है। (3) बेल पंच्चा (बे:ल समूह न्याय पंच) – अर्थात् पड़हा बेल समूह अपनी टीम के साथ समीक्षा सभा करते हैं, जिसमें 3 या 5 या 7 या 9 पड़हा बेल मांग एवं विषय वस्तु के अनुसार शामिल होते हैं। परम्परागत उराँव समाज में बिसुसेन्दरा पद्धति है जो परम्परागत उराँव समाज का सामाजिक संसद के स्वरूप में है और सामाजिक नियम एवं मार्ग—दर्शन तय करता है तथा अनुपालन नहीं होने पर दण्ड भी तय करता है। इसी तरह उराँव (कुँडुख) भाषा में गांव को पद्दा कहा जाता है तथा कई गांव का समूह (परम्परागत रूप से निर्धारित) मिलकर पड़हा बैठक करते हैं। इसमें, गांव के किसी भी मुद्दे को पहले ग्राम सभा के सामने, शिकायत किया जाता है। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को सूचना देकर बुलाता है तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा के सामने होता है। उराँव समाज में बिसुसेन्दरा सम्मेलन करके निर्णय लिया गया कि अब ग्रामसभा की कार्यवाही अधिकृत रजिस्टर में दर्ज किया करें।

इस प्रणाली द्वारा दिये गए फैसले की समीक्षा अथवा चुनौती के लिए क्रमवार, अपील I – पड़हा पंच्च (पड़हा न्याय पंच) द्वारा एवं अपील II – बे:ल पंच्चा (बे:ल समूह न्याय पंच) (सामाजिक न्याय व्यवस्था बईसकी में कम से कम तीन या पांच पड़हा बेल शामिल हो) द्वारा निर्णय करें। बेलपंच्चा न्याय पंच की अध्यक्षता, याचिकाकर्ता द्वारा चयनित पड़हा बेल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय मान्य होगा। उपरोक्त तीनों बैठक की प्रक्रिया में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा या पड़हा का अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय को उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर कराएँ या ठेपा निशान लगाएँ। बिसुसेन्दरा द्वारा पारित यह प्रस्ताव, सामाजिक व्यवहार के लिए जनहित में जारी है।”

परम्परागत उराँव समाज की त्रिस्तरीय सामाजिक न्याय पंच प्रणाली “परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई—भरनो 2023” द्वारा लिया गया फैसला प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। उपरोक्त सामाजिक न्याय प्रणाली की पर टिप्पणी न करते हुए कुछ सुझाव इस प्रकार है :-

1. परम्परागत उराँव समाज में इस व्यवस्था को परम्परागत उराँव सामाजिक नेवई (न्याय) पंच कहा जाए।
2. परम्परागत उराँव सामाजिक नेवई (न्याय) पंच त्रिस्तरीय हो, जिसका स्वरूप इस प्रकार हो –
  - (क) पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा न्याय पंच) – यह ग्राम स्तर पर होता है।
  - (ख) पड़हा पंच्चा (पड़हा न्याय पंच) – यह उराँव समाज में पड़हा स्तर पर होता है।
  - (ग) बे:ल पंच्चा (बे:ल समूह न्याय पंच) – यह की पड़हा बेल अपनी टीम के साथ समीक्षा सभा करते हैं, जिसमें 3 या 5 या 7 या 9 पड़हा बेल मांग एवं विषय वस्तु के अनुसार शामिल होते हैं।

यहां पद्दा का अर्थ गांव है। परम्परागत रूप से सभी उराँव गांव में एक अखड़ा है, जहां करम पुजा (पुजा का अर्थ पूरआ गे उ:जना समझा जाता है) होता है, एक चा:ला थान (सरना स्थल), एक देबीगुड़ी थान (देवी स्थल) और गांव का मसना सामूहिक तौर पर हुआ करता है, परन्तु किसी गांव का टोला में सरना या देवीगुड़ी नहीं होता है। गांव में टोला बढ़ने से देव—पितर का बंटवारा नहीं हुआ है, पर वहां पर चढ़ाए गये जल और फूल का बंटवारा हुआ करता है। वर्तमान समय में खशकर शहरी क्षेत्रों में, इन मुद्दों में भी बदलाव हुआ है। शहर में समाज का

समूह छुट गया और समूह छुटने से सामुहिकता और सामूहिक व्यवस्था में विखराव हुआ और उरांव समाज के लोग दूसरे संगठित आस्था-विश्वास वाले समूह के संगत में चलते चले गजाने लगे।

पंच्चा का अर्थ उरांव समाज में सामाजिक न्याय प्रणाली है। इसका संबंध पचा और पचोरा से है जो पंचनामा के अर्थ से आंशिक तौर पर समझा जा सकता है। हिन्दी का पंचनामा का अर्थ साक्ष्य संग्रह करना है। परन्तु पद्दा पंच्चा या पड़हा पंच्चा या बेल पंच्चा का अर्थ साक्ष्य संग्रह करना तथा सामाजिक न्याय करना एवं दण्ड विधान निर्धारण करना भी है।

पंच्चा शब्द के साथ कई गाना उरांव भाषा में गाया जाता है –

1. पंच्चा ननो बाःरी गमय-गोसोय मननय,  
पंच्चा ननो बाःरी गमय-गोसोय मननय।  
किस्स अहड़ा मोःखो बाःरी लब्ब-लब्ब मननय,  
किस्स अहड़ा मोःखो बाःरी लब्ब-लब्ब मननय।

भावार्थ – यह महिलाओं द्वारा पुरुषों पर सामाजिक न्याय के दौरान उठती भावनाओं पर टिप्पणी है।

2. पंच्चा भईयर बअदी कोय पेलो,  
पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।  
हेओर दरा लवओर कोय पेलो,  
पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।  
अखड़ा नू संगे निंगहय बेःचोन कोय पेलो,  
पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।।

भावार्थ – एक प्रेमी, अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है और उसका साथ के लिए के लिए सज्ज है।

3. बेल झण्डा चोःचा गुचा सपड़ारआ।  
कन्ना-बलम धरआ गुचा बिसुसेन्दरा।  
पड़हा पंच्चा चोःचा गुचा सपड़ारआ,  
बेल पंच्चा ओक्का गुचा बिसु टोंका।

भावार्थ – यह वीर रस वाली बाल कविता है। बच्चों के बीच इसे सामाजिक जागरण हेतु गाया जाता है।

इस प्रणाली में गांव के किसी शिकायत पर पहले पद्दा पंच्चा/ग्राम सभा के सामने लाया जाता है। उसके बाद यदि ग्रामसभा के निर्णय पर स्वीकार न होने पर वह मामला पड़हा के बीच पहुंचता है और वहां पड़हा पंच्चा में गलती पाये जाने पर जुर्माना किया जाता है।

न्यायालय व्यवस्था का किसी मामले को समीक्षा करने के लिए अवसर प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में उरांव समाज ग्राम सभा के मामले की समीक्षा प्रथम स्तर पर पड़हा में करता है और उससे उपरी समीक्षा स्थल बिसुसेन्दरा है। पर त्वरित एवं पारदर्शी न्याय के लिए दूसरी व्यवस्था को परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई-भरनो में बेल पंच्चा न्याय पंच को स्वीकार किया गया है जिसे बेल पंच्चा कहा जाता है। यहा शिकायत आने पर कई पड़हा के पड़हा बेल अपनी टीम कं साथ सुयुक्त रूप से निर्णय लेते है।

इसी संदर्भ में दिनांक 31.05.2022, दिन मंगलवार को डॉ० नारायण उराँव, सैन्दा, सिसई (गुमला), अपने वकील मित्र श्री बिन्देश्वर साहू (वकालत परिसंघ, गुमला) के साथ पारम्परिक उराँव समाज के सामाजिक एवं वैधानिक

समस्याओं के संबंध में विमर्श करने हेतु गुमला कचहरी (झारखण्ड) में विधि के जानकारों से मिले। डॉ० नारायण एवं विधि के जानकारों की बातें हुईं। डॉ० नारायण ने सामाजिक मुद्दे पर बाचीत करते हुए कहा कि – ‘‘पारम्परिक एवं रूढ़ीगत व्यवस्था के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों की सामाजिक समस्याएँ कोर्ट-कचहरी में सुनी नहीं जाती है। प्रश्नोत्तर में महोदय बोले कि कोर्ट या प्राधिकार, शिकायत की सुनवाई करता है, कोई नया नियम नहीं बनाता है। यदि कोई शिकायत हो तो कोर्ट या प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधि सेवा दिया जाएगा और यदि सामाजिक हित में कोई नया नियम बनाने की बात हो तो समाज के लोगों को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या राज्यपाल के पास जाना चाहिए। कोर्ट या न्यायालय, संविधान सम्मत तथ्यों के आधार पर शिकायत का निपटारा एवं न्याय करता है।

उक्त तथ्यों की जानकारी के बाद, परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि अपने समाज में हुए शिकायत को बैठकर लिखा-पढ़ी के साथ अभिलेख तैयार करते हुए कार्य किया जाएगा। इसके लिए, परिवाद यदि परिवार स्तर पर न सुलझे तो रूढ़ी-परम्परा के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए। परम्परा के अनुसार वाद या परिवाद को निमलिखित तरीके से कार्य किया जाना चाहिए –

1. सर्वप्रथम वाद या विवाद पददा सबहा/ग्राम सभा में आये तो, **पददा पंच्चा/ग्रामसभा** द्वारा दोनों पक्ष को नोटिस देकर बुलाया जाएगा और दोनों पक्ष के बातों को गवाहों के सामने सुनकर तथा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। गवाह पंचगण होंगे। पददा पंच्चा अथवा ग्रामसभा की अध्यक्षता, रूढ़ी-प्रथा के अन्तर्गत कार्यरत संबंधित गांव का पहान द्वारा अथवा पहान की अनुपस्थिति में महतो द्वारा किया जाएगा।

2. यदि **पददा पंच्चा/ग्रामसभा** में किसी मामले का निपटारा न हो तो यह मामला पड़हा में जाएगा। उस पड़हा के लोग (जिसमें 3, 5, 7, 9, 12, 22 गांव जो बुनियादि पड़हा में एक साथ रहता आया हो) **पड़हा पंच्चा** का बैठक में निर्णय करें। पड़हा पंच्चा की अध्यक्षता, पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के हस्ताक्षर के साथ लिखित कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज हो।

3. यदि एक बुनियादि पड़हा स्तर पर मामले का निपटारा न हो तो यह मामला सहयोगी पड़हा (3 या 5 या 7 या 9 पड़हा समूह के बेल, अपने सहयागियों के साथ) **बेल पंच्चा** करें और निर्णय लें। बेल पंच्चा में सबहा की अध्यक्षता, आवेदक द्वारा प्रस्तावित पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के सामने लिखित हो। इन तीन बैठक के निर्णय से यदि वादी या प्रतिवादी असंतुस्ट हों तो वे न्यायालय या बिसुसेन्दरा में मामले को ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

इस तरह, परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई-भरनो 2023 एवं टाटा स्टील फाउण्डेशन के तकनीकी सहयोग से अद्दी अखड़ा, रांची संस्था द्वारा 2023 में समीक्षा कराकर फरवरी 2024 को प्रकाशित किया है। इसका ऑनलाईन प्रकाशन [kurukhtimes.com](https://kurukhtimes.com) पर <https://kurukh/node/377> के पर उपलब्ध है। पूर्व में भी परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2022 द्वारा लिया गया निर्णय ऑनलाईन प्रकाशन [kurukhtimes.com](https://kurukhtimes.com) पर <https://kurukh/node/285> के पर उपलब्ध है। इसके पी.डी.एफ. रूप को [kurukhtimes.com](https://kurukhtimes.com) से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

आलेख – डॉ० नारायण भगत,  
विभागाध्यक्ष, कुँडुख विभाग,  
रांची विश्वविद्यालय, रांची।  
दिनांक – 30 अप्रील 2024  
मो० न० – 8521458677



## 7. पारम्परिक पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2023

(तदनुसार, हम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रांची द्वारा 2017 के मूल वाद संख्या 583 में पारित दिनांक 16.3.2018 के निर्णय को रद्द करते हैं और इस मामले को कुटुम्ब न्यायालय को भेज देते हैं ताकि वह इस मामले में विवाह भंग करने के लिए पक्षकारों के समुदाय में प्रथागत तलाक के अस्तित्व के संबंध में एक उपयुक्त मुद्दा बनाये। हम पक्षकारों को, यदि वे ऐसा चाहते हैं ते, याचिकाओं में संशोधन और अपने समुदाय में प्रथागत तलाक के प्रावधान के अस्तित्व को साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं। कुटुम्ब न्यायालय इस न्यायालय द्वारा एतद्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना शीघ्रता से इस मामले पर नए सिरे से विचार करेगा।)''

‘माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के इस आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए **पारम्परिक पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा**, सिसई-भरनो 2023 द्वारा दिनांक 20 एवं 21 मई 2023 दिन शनिवार एवं रविवार को दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से विमर्श कर, त्रिस्तरीय पारम्परिक ग्रामसभा पड़हा न्याय पंच पद्धति – 1) ग्रामसभा 2) पड़हा 3) पड़हा-बेलपंच्चा के स्तर पर बिसुसेन्दरा (परम्परागत उराँव समाज का सामाजिक संसद अथवा मार्गदर्शक स्वरूप) में सामाजिक मार्ग-दर्शन तैयार किया गया। उराँव (कुँडुख) भाषा में गांव को पद्दा कहा जाता है तथा कई गांव का समूह (परम्परागत रूप से निर्धारित) मिलकर पड़हा बैठक किया जाता है। इसमें, गांव के किसी भी मुद्दे को पहले **ग्राम सभा** के सामने, लिखित शिकायत करें। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कर बुलावे तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज हो और शिकायत का निपटारा करें। इसकी यदि समीक्षा करनी हो तो, अपील I – पड़हा न्याय पंच द्वारा एवं अपील II – बेलपंच्चा न्याय पंच (बेलपंच्चा बैठक में कम से कम 03 या 05 या 07 पड़हा शामिल रहे) द्वारा निर्णय करें। बेलपंच्चा की औपचारिक अध्यक्षता, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तावित मदईत पड़हा बेल द्वारा होगा, जिसमें अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय मान्य होगा। उपरोक्त तीनों बैठक की प्रक्रिया में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा या पड़हा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय को उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर या ठेपा निशान लगाएँ।

बिसुसेन्दरा द्वारा पारित यह प्रस्ताव, सामाजिक व्यवहार के लिए जनहित में जारी है।''



## 8. परम्परागत उराँव आदिवासी समाज की अवधारना एवं अध्यात्मिक मान्यताएँ

— डॉ० नारायण उराँव “सैन्दा” एवं श्री गजेन्द्र उराँव “सैन्दा”

साधारणतया, लोग कहा करते हैं — आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। इनका कोई आध्यात्मिक चिंतन नहीं है। इनका विष्वास एवं धर्म अपरिभाषित है। ये पेड़-पौधों की पूजा करते हैं .... आदि, आदि। इस तरह के प्रश्नों एवं शंकाओं को प्रोत्साहित करने वालों से अगर पूछा जाय — क्या, वे अपने विष्वास, धर्म आदि के बारे में जानते और समझते हैं ? यदि इस तरह के प्रश्न करने वाले सचमुच अपने विश्वास, धर्म के बारे में जानते हैं, तो उनके द्वारा आदिवासियों के बारे में इस तरह के लांछण लगाये जाने का औचित्य नहीं है और यदि उन्हें अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते है तो उन्हें समझाया जाना भी आसान नहीं है।

वैसे अध्यात्म एक गूढ़ विषय है जिसकी गहराई तक कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। मुझे अध्यात्म जैसे गूढ़ विषय पर तनिक भी पकड़ नहीं है फिर भी प्रस्तुत शीर्षक के माध्यम से आदिवासियों पर हो रहे बौद्धिक और वैचारिक अवमूल्यन के प्रति लोगों का ध्यान आकृषाट करने का मेरा छोटा सा प्रयास है। ध्यातव्य हो कि आदिवासी परम्परा में भी अध्यात्म की सारी बातें थीं और हैं, किन्तु सरसरी नजर से देखने पर पेड़-पौधे नजर आयेगें। अध्यात्मिक अवधारना में सबसे अधिक जरूरी है ईश्वर की परिकल्पना एवं मान्यता। दूसरा महत्वपूर्ण अवयव है आत्मा या अन्तरात्मा। विद्वत्तजनों का कहना है कि आत्मा का परमात्मा के साथ आत्मिक संबंध जोड़ना ही अध्यात्मिकता का सार है। इस परिपेक्ष्य में प्रश्न उठता है — क्या, आदिवासी विष्वास, धर्म में ईश्वर की परिकल्पना है अथवा नहीं ? उसी तरह आत्मा के संबंध में आदिवासियों की मान्यता किस प्रकार है ? इन तथ्यों को समझने के लिए परम्परागत उराँव (कुँडुख़) आदिवासी समाज में प्रचलित अनुष्ठानों एवं अवधारनाओं पर गौर किया जाना चाहिए तथा कुँडुख़ (उराँव) भाषा की निम्नांकित षब्दावली पर मनन-चिंतन किया जाना चाहिए :-

1. धरमे (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ) :- एका सवंग सँवसेन धर'ई आ:दिम धरमे अरा एका सवंग धरना जो:गे रअई आ:दिम धरमे अर्थात वह षक्ति जो समस्त सृष्टि को संचालित

करती है तथा वह षक्ति जो अनुकरण करने योग्य है, कुँडुख़ में धरमे (ईश्वर) का यही अर्थ है। धरमे बि'ई। धर (धरना)+मे (मे:न)।

2. धरती अयंग (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱫᱽ) :- धरती अयंग। धरती अयंग बि'ई। धरती माता।

3. धरमी सवंग (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱫᱽ) :- धरमे सवंग तरती चाजरका नेम्हा सवंग। धरमी सवंग बि'ई।

4. सँवसिरा (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱫᱽ) :- सँवसे + सिरा = सँवसिरा (प्रकृति)। सँवसे = समस्त, सिरा = मूल स्थान। खज्ज अरा खे:खेल नु तंगआ ती सिरजारना दरा खो:रना सवंग अड्डा। ई खज्ज अरा खे:खेल (सृजन का मूल श्रोत अर्थात सृजन करने वाली धरती एवं उसके अवयव) नु सिरिजतारना अरा सिरिजताअना सवंग अड्डा। चिच्च, चें:च, ता:का, धरती, अकास उरमी सवंग सिरिजतु'उ सवंग गही सिरिजताअना सवंग तली। वह जो मानव द्वारा निर्मित न हो। सिरासिता = सिरा + सिता। सिरा = मूल स्थल, सिता = सित अरा सोता। सिरासिता = सित अरा सोता गही मूली अड्डा। सिरासिता = सित खतरतना ती सितारना अरा अम्मा सोता गही सिरा अड्डा।

5. मयहदेव (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱫᱽ) :- मया ननु (मया-दया करने वाला) देव, मय्याँ ता देव (उपर वाला दैवीय षक्ति) मयहा (दयालु) देव। मयहदेव्स बेअदस। मा:ह'उ देव। ईद मया ननु अरा मा:ह'उ देव ती मयहदेव मंज्जकी बि'ई। वेदों में महादेव शब्द नहीं है। यह शक्ति स्वरूप है, शरीरधारी नहीं।

6. परबईत (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱫᱽ) :- परबस्ती ननु (पालन-पोषन करने वाली) मया (माया)। परबईत बी'ई।

7. चन्ददो-बी:डी (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱫᱽ) :- प्रकृति में सूर्य, उर्जा एवं प्रकाश का षाष्वत श्रोत है।

8. करम देव (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱫᱽ) :- करम पूजा में, करम के देव स्वरूप की पूजा होती है। कहीं भी हे करम

पेड़ या करम डाली कहकर पूजा नहीं होती है। करम देव या करम राजा कहकर पूजा होती है। नाम के जाप में षक्ति स्वरूप का आह्वान किया जाता है।

9. चाःला अयंग (ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ) — चाल चिअउ अयंग। सरहुल के दिन पेड़ की छाया में, चारो दिशा में रुख कर पूजा होती है किन्तु आह्वान एवं मंत्रोच्चारण में किसी पेड़ के नाम से पूजा नहीं होती है। वहाँ पर धरमे एवं धरमी सवंग अर्थात् ईश्वर एवं ईश्वरीय षक्तियों की पूजा होती है।

10. देबी अयंग (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ) :- दव ननु मेःद मलका मुक्का छाव नु संगरा चिअउ सवंग (बिना देहधारी, महिला रूप में अच्छाई करने वाली षक्ति स्वरूप)। देवाँ बिःई। देवाँ+बीःई = देबी। देबीगुड़ी = देबी सवंग गुँडुरका अड्डा। देवाँ = good spirit ( in Ho Language also)

11. पुरखा-पचबल (ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ-ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ) :- पांच पीढ़ी तक के पूर्वज। कुँडुख परम्परा में मृत्यु के पश्चात् शरीर को दफनाया/जलाया जाता है तथा मृतक की आत्मा को एःख मंखना (छाया भितराना) अनुष्ठान कर घर में स्थान दिया जाता है तथा उस आत्मा को पूर्वजों की आत्मा के साथ सम्मिलित होने या उस मृतक की आत्मा के लिए पूर्वजों के नाम पर अनुष्ठान किया जाता है। साथ ही विभिन्न अवसरों पर उनके नाम से तर्पन एवं भोग दिया जाता है। उराँव लोगों की मान्यता है कि ईश्वर एवं उनके पूर्वज हमेषा उनकी मदद एवं देखभाल करते हैं।

12. जिया (ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ) (हाँस) :- आत्मा, अन्तरात्मा। जिया दिम उंगी अरा जिया दिम पुल्ली। कुँडुख परम्परा में धरमे सवंग (सर्वषक्तिमान ईश्वर) एवं जिया सवंग (अन्तरात्मा) सिर्फ इन्ही दो तत्वों को उंगु सवंग अथवा सामर्थ्यवान कहा गया है।

13. देव (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ) :- दव ननु मेःद मलका आल मलता आःलो छाव नु संगरा चिअउ सवंग (बिना देह-शरीर के मानव या मानवेतर रूप में अच्छाई करने वाली षक्ति)।

14. नाद (ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ) :- नंद'उ मलता नंदना ननु सवंग (विनाष करने वाला या कष्ट देने वाला)। कुँडुख

जीवन में कुछ लोग अपने हिस्से की सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति और ताकत अर्जित करने के लिए जीवात्मा या भटकती हुई आत्मा की साधना कर अपने वष में करते हैं तथा दूसरे को दुख पहुँचाने में उस नाद की मदद लेते हैं।

15. पद्दा (ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ) :- गाँव। एकअम आःलर ही पाःदा अड्डा दिम पद्दा तली। पद्दा पँचेती :- ग्रामसभा। एकअम आःलर ही पाःदा अड्डा दिम पद्दा तली। पद्दा-पल्ली, पद्दा-पाट।

16. एडपा (ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ) :- घर। एकदद तंगहय उला एड'ई अरा ओहारी ननी। लूरएडपा :- लूर गे ईड'उ एडपा। मूली-एडपा, मण्डी-एडपा, कोठा-एडपा, खुपी-एडपा, जोंःख-एडपा, पेल्लो-एडपा।

17. अखड़ा (ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ) :- अखना + खटना + अड्डा (अखना गे खटना अड्डा/ज्ञान के लिए श्रम स्थल तथा निर्णय करने का स्थल)।

18. धुमकुड़िया (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽᱵᱟᱫᱽᱵᱟᱫᱽ) :- धुम-ताअ कुड़िया, धुम्म-धुम्म कुड़िया। धुम-ताअ नलना बेःचना अखना अड्डा (एक बुजुर्ग अपने नाती-पोते से बोला करते हैं, गुचा नतिया धुम-ताअ बेःचा। अर्थात् बचपन में अनुशासित तरीके से खेल-खेल में जीवन जीने का तरीका सीखना और सिखलाना), कुड़िया का अर्थ छोटा घर या केन्द्र अथवा सेन्टर। अभी भी गाँव में जब लड़के-लड़कियाँ अच्छे से नाच-गान करते हैं तो बुजुर्ग बोला करते हैं - इन्ना गा जोंःखर-पेल्लर अकय दःव बिच्चयर, धुम-धुम खरखा लगिया। इसी तरह लड़के-लड़कियाँ जब मौसम के अनुरूप नाच-गान नहीं करते हैं तो बुजुर्ग वर्जना करते हैं - नीःम जोंःखर-पेल्लर दःव मल बेःचा लगदर, धुम्म-धुम्म खरखा लगी। धुमकुड़िया का अर्थ धुमसाःरना कुड़िया है अर्थात् वैसा केन्द्र जहाँ से लोग विषिष्ट युवा के रूप में तैयार होकर निकलें।

19. पड़हा (ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ) :- पड़ा (गाँव का समूह क्षेत्र) नु पाःडा अरा पड़ा नुम पड़गरआ। पड़हा का कार्य खून एवं वंश की शुद्धता बनाये रखना एवं सुरक्षा करना रहा है।

20. बिसुसेन्दरा (ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲᱵᱟᱫᱽᱵᱟᱫᱽ) - बसा नना गे सेन्दरा। परम्परागत उराँव (कुँडुख) समाज में

प्रत्येक वर्ष बईसाक में बिसुसेन्दरा हुआ करता था। बि = बिहनी, सु = सुघड़, ननना सेन्दरा। बिहनिन सुघड़ ननना गे सेन्दरा।

21. कुडुख (कुडुख) :- कुडना + अखना ती कुडुख मंज्जा। (ओःरे नु कुडना-मोःखना अख'उर, कुडुखर बाःतारर अरा आःरिम नन्नारिन हूँ सिखाबाःचर। कुडना-मोःखना अखकत खने कुँडुखत, कुडना-मोःखना अखखर खने कुँडुखर, कुडना-मोःखना अखकन खने कुँडुखन, कुडना-मोःखना अखकम खने कुँडुखम, कुडना-मोःखना अखकय खने कुँडुखय। (आदिकाल में किसी जंगल में सूखे बाँस के आपसी घर्षण से चीं ..... चीं .... चीं .... चीं .. की आवाज निकलते-निकलते जो अद्भूत दृष्य (दावानल) नजर आया वह कुडुख भाषा में चीं .. चीं .. से चिच्च (अग्नि) कहलाया और जो अवषेय बचा वह चिन्द (राख) कहलाया। वह चिच्च से पूरा जंगल जलने लगा और पशु-पक्षी मरने लगे। चीं .. चीं .. से चिच्च कहने वाले लोग उन अधजले मांस को खाये और बाद में जानवरों के कच्चे मांस को आग में सेंककर खाने की विधि की खोज की तथा दूसरे समूह को भी सिखलाया। इस समूह द्वारा आग एवं आग में सेंककर खाने की विधि की खोज ने पूरे मानव समाज के जीने का तरीका बदल दिया और उनकी भाषा में वे कुडा अख'उ यथा कुडा मोःखा अख'उ से कुडुख कहलाये। आषय है, कुडुख पुरखे, आग एवं आग में कच्चे मांस को सेंक कर खाने की विधि की खोज किये और उन्हीं के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुँचा। इस तथ्य को व्यवहार में रखने हेतु कुँडुख पुरखों ने डण्डा कट्टना अनुष्ठान में ईश्वर के नाम से समर्पित चढ़ावे यानि अण्डा को आग में तपाकर (अतखा नु कुडुअर) उपस्थित पुरुषों के लिए प्रसाद स्वरूप वितरण किया जाता है, तत्पश्चात ही पूजा संपन्न होता है।) अर्थात् कुँडुख पूर्वजों ने ही अग्नि की खोज की और कच्चे मांस को पकाकर खाने सीखा तथा दूसरों को भी सिखलाया।

22. उरॉव (उरॉव) :- उयुर (हल चलाकर खेती करने वाले) + आँवा (घेराबंदी करके आग से जलाकर संजगी अथवा खेत तैयार किया जाना) - उरॉव (हल चलाने वाले तथा घेराबंदी कर आग से जलाकर खेत तैयार करने वाले), उयुर गही गण - उरागण - उरागण ठकुर (उरॉव राजघराना)। उर + आँव = उरॉव - उरबस

गही आँवा ती बछरका आःलर (ईश्वर की अग्नि वर्षा से बचे हुए लोग)।

23. ओल्लगी (ओल्लगी) :- ओंगना उलता अरा ओलता सवंगन लग्गना। कुँडुख संस्कृति में अभिवादन करते समय दोनों हाथ जोड़कर सिर नवाते हुए ओ'लगी कहा जाता है या बाँया हाथ से दाहिना हाथ को केहुनि से थोड़ा नीचे स्पर्श करते हुए दाहिना हाथ को उठाकर षीष नवाते हुए ओ'ल्लगी कहा जाता है। ओलगी का शाब्दिक अर्थ ओंगनन लग्गना अर्थात् सामने वाले व्यक्ति के अन्दर के सामर्थ्यवान को नमन करना। कुँडुख अध्यात्म एवं विष्वास में उंगु सवंग दो षक्ति को माना गया है - 1. धरमे सवंग (सर्वषक्तिमान) 2. जिया सवंग (अन्तरात्मा)। अभिवादन करते समय सामने वाले व्यक्ति के अन्तरात्मा को नमन किया जाता है।

24. साःरना (साःरना) :- एम्मबा साःरना, कीःड़ा साःरना, उम्है साःरना - महसूष करना, आत्मसात करना, to feel & realised, to relate इत्यादि।

25. सरना (सरना) :- स + र + न + आ। 'सिरजनन रम्फ ननु आःलोन साःरना दिम सरना। ' सरनन साःरना दिम सरना। साःरना = महसूष करना, अनुभूति, to feel & realise.

सरना = सर + ना। सरना गही 'सर' बक्कमूली ही माने हिन्दी नु गतिमान अरा अंगरेजी नु mobility मनी। कुँडुख नु नलख सरना गही माने एकअम छेका-छछंद (विग्घन-बाधा) मझी नु हूँ आ नलख ही बेड़ा सिरि मुंजुरना अखतार'ई। ई लेखा ई सँवसिरा (प्रकृति) नु सिरिजारका उरमी दिम तंगआ डींड़ ताँड़का बेसे तंगआ बेड़ा अरा उल्ला खेप'ई। इस तरह जहाँ गति है वहाँ जीवन है और जहाँ जीवन है वहाँ गति है। खरदी उल्ला चाःला टोंका नु पुजा-धजा ननना अरा मनना नु पद्दा सिजा ता उरमी आल-आःलो ही दव कुना उज्जा-बिज्जा अरा उल्ला खेपआ गे ओहरा-बिनती ननतार'ई। इदी गे धरमे अरा धरमी सवंग ती गोहरारना मनी का तंगआ पद्दा सिजा ता सँवसे सिरजन-बिरजन दव कुना उल्ला खेपअन नेकआ अरा मलदव आःलो पद्दा सिजा तरा अम्मबन कोरअन नेकआ। ई सँवसिरा नु खेखेल, मेरखा, ताःका, चिच्च, चेंःप (पृथ्वी, आकाष, हवा, अग्नि, पानी)



के लोग नहीं करते हैं, यह समाज के लोग तय करते हैं, यह प्रथा है।

37. मयसरी (𑂣𑂱𑂣𑂱𑂣𑂱) – मया (ममता) + सरी (प्रतीक, प्रतिनिधि) = ममता का प्रतीक भेंट या उपहार। कुछ लोग सादरी/नागपुरी बोलते हुए में मायसारी शब्द माय की साड़ी कहने लगते हैं, जो कुँडुख्र भाषा के अनुसार नहीं है। सादरी/नागपुरी में बेंज्जा के लिए शादी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि षादी षब्द को अरबी मूल का माना गया है।

38. जतरा (𑂣𑂱𑂣𑂱) :- जत + रा = जतरा। जतरा दो शब्द से निर्धारित हुआ है। 1. जतनाअना, जिसका अर्थ सम्हालना या संजोकर रखना तथा 2. रा:गे, जिसका अर्थ राग, रंग, जीवन संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज इत्यादि होता है। यह दोनो शब्द के मूल धातु के संयोग से जत + रा से जतरा शब्द बना है। जतरा के कई प्रकार हैं। 1. पड़हा जतरा 2. पददा जतरा। जमींदारी व्यवस्था आने के बाद कई गांव में दरबारी जतरा भी लगने लगा था।

39. मईखना (𑂣𑂱𑂣𑂱𑂣𑂱) :- मई गही खें:स का:ना = मासिक धर्म, menstruation। कहा जाता है – 12 बछरे बईनी सिंगार, बईनी जिया पेल्लो मंज्जा। 12 चन्ददो 13 मईखना, मईनी कोरओ अक्कु धुमकुड़ियन्ता पेल्लो एडपा।

40. देशी आस्था / Indigenous faith (𑂣𑂱𑂣𑂱𑂣𑂱) :- झारखण्ड स्वतंत्र धर्म अधिनियम 2017, दिनांक 11 सितम्बर 2017 को झारखण्ड सरकार, विधि विभाग द्वारा अधिसूचित है। इस अधिनियम में कहा गया है कि – कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अन्यथा बलपूर्वक, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधन के द्वारा एक धर्म/धार्मिक आस्था से दूसरे में धर्मान्तरित नहीं करेगा या करने का प्रयास नहीं करेगा, न ही ऐसे धर्मान्तरण का दुष्प्रेरण करेगा।

यहाँ प्रश्न है कि क्या झारखण्ड सरकार यहाँ के परम्परागत आदिवासियों के आस्था-विश्वास को स्वीकार करती है तथा किसी नाम से जानती है ? इसका उत्तर है – हाँ। झारखण्ड सरकार, झारखण्ड के परम्परागत

आदिवासियों के आस्था-विश्वास को देशी आस्था (Indigenous faith) कहती है।

झारखण्ड स्वतंत्र धर्म अधिनियम 2017 के कंडिका 2(च) में कहा गया है – “ऐसा धर्म, विश्वास एवं परम्पराएँ जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकाण्ड, पर्व-त्योहार, अनुशरण, प्रदर्शन, वर्जना, प्रथाएँ जैसा कि झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति समुदायों के द्वारा स्वीकृत, मान्य तथा व्यवहार्य है, जब से ऐसे समुदाय जाने जाते हैं।”

41. सरना आदिवासी धर्म (𑂣𑂱𑂣𑂱𑂣𑂱) :- दिनांक 11.11.2020 को झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड के आदिवासियों की परम्परागत आस्था एवं धार्मिक विश्वास को नाम दिये जाने तथा जनगणना सूची में धार्मिक आस्था कॉलम में शामिल किये जाने की वर्षों से लंबित मांग को पर सरना आदिवासी धर्म नाम को सर्वसहमति से पारित किया और केन्द्र सरकार को जनगणना 2022-23 में धर्म कॉलम में शामिल करने हेतु भेजा गया। वैसे केन्द्र सरकार द्वारा इसे मान्यता नहीं मिला है।

इस तरह यह तथ्य है कि आदिवासियों की अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति-रिवाज, परम्परा, धर्म, अनुष्ठान इत्यादि सभी चीजें हैं। जरूरत है इसे समझने और आत्मसात करने की। ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियाँ सबके लिए एक समान है। आवश्यकता है एक अच्छा पात्र बनकर अपनी अन्तरात्मा को परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने की। एक सच्चा आदिवासी इस संबंध को स्थापित करने के लिए अपने कार्य को ईश्वर का कार्य समझकर ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्वक करने का प्रयास करता है। अध्यात्म का दरवाजा भी यहीं से खुलता है। अध्यात्म व्यक्ति को ईमानदार, नीतिवान, नैतिकवान और चरित्रवान बनाता है जिसकी आवश्यकता समाज को है।

शोध-संकलन :-

डॉ० नारायण उराँव 'सैन्दा'

दिनांक – 19. 09. 2023,

मो०न० : 9771163804

## 9. झारखण्ड आदिवासी भाषा एवं लिपि विकास में पद्मश्री डॉ० रामदयाल मुण्डा के उत्प्रेरक विचार



मैं डॉ० नारायण उराँव की जीवन संगिनी हूँ। हम दोनों मई 1992 में दाम्पत्य जीवन में बंधे। अपने विवाह से अब तक, 31 वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है। इस लम्बे समय अंतराल में मैं कुँडुख भाषा तोलोंग सिकि के विकास के बारे में जानकारी मिलती रही। वैसे मैं सीधे तौर पर इस लिपि के विकास कार्य में नहीं जुड़ पायी, पर परोक्ष रूप से चिकित्सक के कार्यों का मूकदर्शक बनी रही। झारखण्ड आन्दोलन के दौरान नई लिपि के विकास में कई उतार चढ़ाव का समय आया और अपना दस्तक देकर किनारा हो चला। इसी कड़ी में डॉ० रामदयाल मुण्डा जी के साथ डॉ० नारायण उराँव एवं उनके साथियों से हुई भेंटवार्ता का कुछ सामयिक अंश, आप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है –

**\*\*झारखण्ड अलग प्रांत आन्दोलन के पुरोधा पद्मश्री डॉ० रामदयाल मुण्डा जी से मिलने उनके आवास पर 05 मई 1997 को डॉ० नारायण उराँव, श्री विवेकानन्द भगत एवं श्री मंगरा उराँव पहुँचे। शिष्टाचार पूरा होने के बाद डॉ० उराँव द्वारा झारखण्ड की भाषा, साहित्य एवं लिपि के विकास में डॉ० मुण्डा जी से मार्ग दर्शन एवं सुझाव हेतु निवेदन किया गया और कई सामयिक बातें भी हुईं। बातचीत के क्रम में डॉ० उराँव ने डॉ० मुण्डा जी से एक व्यक्तिगत सवाल किया – “राउरे, मिनिसोटा यूनिवर्सिटी, अमेरिका में प्रोफेसर कर नौकरी छोड़के राँची का ले आली?” इस प्रश्न पर, मुण्डा जी ने कहा – राउरे मन ई बात के नी बुझब ! जे खन हामर जगन प्रस्ताव आलक, जनजातीय भाषा विभाग कर अध्यक्ष/निदेशक कर रूप में विभाग चलायक ले, से खन एके गो बात हामर मन में आलक कि एखने आपन देश, माटी आउर आदिवासी समाज कर श्रृण चुकाएक कर मोका हय। ई बेरा, झारखण्ड आन्दोलन के जगाएक कर बेरा हय। आउर इकर ले नवजवान मनकर ग्रेजुएट फौज तैयार करेक होवी। जोन खन हमर आदमी ग्रेजुएट होय जाबँय, से खन उ मन आपन बात बोलेक सीखबँय, तब अलग राईज कर आन्दोलन मजबूत होवी अउर नया राईज मिलले, उ मन राईज चलाय ले अगुवा बनबँय। एसन सोईच के हम अमेरिका कर नौकरी के छोड़के चईल आली। हियाँ आवल कर बाद झारखण्ड क्षेत्र कर दौरा कईर के 5 गो आदिवासी भाषा और 4 गो क्षेत्रीय भाषा के मिलाय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर गठन करल गेलक। अइसन में, झारखण्ड क्षेत्र कर लगभग सउबकर भाषायी प्रतिनिधित्व होवत रहे, आउर हमरे एहे लाइन में काम करेक लागली। डॉ० उराँव के कहा – राउर ई त्याग के हमरे बुईझ गेली। देश आउर आदिवासी समाज राउरे के हमेशा इयाइद करी।**

**\*\*झारखण्ड अलग प्रांत आंदोलन के विचारक एवं वरिष्ठ नेता पद्मश्री डॉ० रामदयाल मुण्डा कहा करते थे – जब ले आदिवासी समाज कर धुमकुड़िया नी जागी अउर अखड़ा नी गहजी तब ले आदिवासी मनकर उबार नखे। एखन कर बेरा में अखड़ा जगन धुमकुड़िया होवे अउर धुमकुड़िया में किताब-काँपी, पुस्तकालय संगे समाचार पत्र अउर छोटमोट सर्दी-बुखार कर टिकिया संगे-संग मरहम पट्टी कर सामान भी रहेक चाही।**

**\*\*एखन कर बेरा में आदिवासी मन के देश कर मुख्य धारा संगे जुड़के चाही, संगे संग आपन पूर्वज मनकर देवल भाषा संस्कृति के बचाएक और जोगाएक ले भी काम करेक चाही, तबे आदिवासी समाज कर विकास पूरा होवी।**

**\*\*पूर्व कुलपति डॉ० रामदयाल मुण्डा जी के साथ दूसरी भेंटवार्ता 15 मई 1999 को हुई। इस भेंटवार्ता में डॉ० नारायण ने मुण्डा जी से प्रश्न किया कि – आने वाले समय में आदिवासी भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए एक सर्वमान्य लिपि की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में यदि तोलोंग सिकि लिपि को आदिवासी भाषा की लिपि कहा जाता तो बेहतर होता। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले वे मुस्कुराये और बोले – ऐसा प्रश्न ठीक नहीं है। झारखण्ड क्षेत्र में तीन समूह की आदिवासी भाषाएँ हैं – (1) आष्ट्रिक भाषा समूह, (2) द्रविड़ भाषा समूह तथा (3) आर्य भाषा समूह। द्रविड़ भाषा समूह वाले लोग तोलोंग सिकि का विकास कर लिये, इसके लिए द्रविड़ समूह वाले लोगों को बहुत-बहुत बधाई। अब दूसरे भाषा समूह वाले भी अपनी भाषा समूह के लिए, लिपि विकसित करेंगे।**

संकलन – डॉ० (श्रीमती) ज्योति टोप्पो उराँव  
संस्कृत विभाग, गोसनर कॉलेज, राँची।

दिनांक – 12 फरवरी 2024

## 10. अमर शहीद वीर बुधू भगत का आन्दोलन और उरांव समाज का पड़हा-धुमकुड़िया-अखड़ा

छोटानागपुर के महाराजा का किला झारखण्ड में राँची जिला के रातू थाना क्षेत्र में अवस्थित है। वे रातू महाराजा के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके समय काल में अंगरेजी हुकुमत तथा जमींदार-महाजन के अन्याय के खिलाफ कई आदिवासी आंदोलन हुए। वर्ष 1820-21 में कोल विद्रोह तथा वर्ष 1831-32 में लरका आंदोलन हुआ। लरका आंदोलन के नायक अमर शहीद वीर बुधू भगत का क्रांति गाथा को भारतीय इतिहास में स्थान नहीं मिला। उस वीर नायक के कुटुम्ब के लगभग 300 से अधिक सदस्य एक ही दिन में शहीद हुए, जिसे भारतीय इतिहास में नजर अंदाज किया गया। सन् 1832 ई० का यह लरका आन्दोलन, एक असहयोग आन्दोलन के साथ गुरिला आंदोलन भी था। लोग छोटानागपुर के महाराजा को लगान देना बंद कर दिये थे। इसकी गवाही में वर्तमान गुमला जिला के सिसई थाना क्षेत्र के जमींदार परिवार के वंशज श्री राजकिशोर शर्मा जी का कहना है कि लरका आंदोलन इतना भयावह था कि रातू महाराजा (छोटानागपुर के महाराजा) का कोषागार खाली हो गया था और सिसई जमींदार ने महाराजा के फौज (घोड़ा-हाथी सहित) को 06 महीना तक संरक्षण (खाना-खोराकी) दिया। इसके बदले में रातू महाराजा द्वारा जमींदारी के लिए 03 गांव (ग्राम छारदा, थाना सिसई, ग्राम हेंजवे, थाना माण्डर, ग्राम परसी, थाना कमडरा) का तोहफा दिया गया। वह दौर, अंगरेजी शासन के लिए भी एक बड़ा चुनौती था, जिसे अंगरेजों ने एक नई युक्ति से काम लिया। कहा जाता है – लरका आंदोलन, भूर्ईहरी-खूटकटी एवं खेतीहर का आंदोलन था। उरांव-मुण्डा लोग, जंगल साफ करके भूर्ईहरी-खूटकटी खेत बनाये और वे इस जमीन का लगान, नहीं देना चाहते थे। परन्तु रातू महाराजा जबरन सभी तरह के जमीन का लगान वसूल करवाते थे। इस जबरन वसूली के खिलाफ, मालगुजारी तथा बेट-बेगारी के विरोध में अंगरेज और महाराजा के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ, जिसकी अगुवाई वीर बुधूभगत ने किया। कुछ ही दिनों बाद वीर बुधूभगत का विभत्स शहादत हो गया। इस विभत्स एवं डरावने शहादत से उराँव समाज का आधार स्तंभ पड़हा, धुमकुड़िया और अखड़ा धीरे-धीरे सहमता गया और यह आधारशिला दिनों-दिन कमजोर होते हुए प्राकृतिक मौत की ओर बढ़ते ही गई।

शहीद वीर बुधू भगत द्वारा उराँव समाज की परम्परागत सामाजिक व्यवस्था पड़हा-धुमकुड़िया-अखड़ा को संगठित कर अंगरेजी हुकुमत के खिलाफ आंदोलन किया था। इस सामाजिक सशक्तिकरण का अवयव अंग को अंगरेजी सरकार भी समझ चुकी थी कि – उरांव-मुण्डा क्षेत्र में पड़हा-धुमकुड़िया जबतक संगठित रहेगा, इस आंदोलन को जड़ से उखाड़ पाना कठिन होगा। इसलिए अंगरेजी हुकुमत ने अपने कार्य प्रणाली में बदलाव किया। अंगरेजी हुकुमत ने अपने काश्तकारों पर शासन करने के लिए कई नये तरीके लगाये। पहला – छोटानागपुर क्षेत्र में भूर्ईहरी-खूटकटी जमीन का सर्वे कराया गया, जिसे रखाल दास खतियान (1869-70 ई०) कहा जाता है। दूसरा – छोटानागपुर क्षेत्र में अंगरेजों द्वारा, अंगरेजी शिक्षा प्रणाली एवं धर्म को यहां के आदिवासियों के बीच अपना विचार थोपने के लिए यूरोप से चर्च को आमंत्रित किया। जिससे चर्च द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने आयोजित धर्म को श्रेष्ठ माना और यहाँ के आदिवासियों के आस्था-विश्वास को विधर्मी कहा। अब समय की मांग है – “वीर बुधू भगत के आन्दोलन का आधार स्तंभ पड़हा-धुमकुड़िया-अखड़ा फिर से जगे।”

